



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 465 राँची, गुरुवार, 22 सितम्बर, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2022

संख्या-एल०जी०-03/2022-31-लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-19/09/2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-10, 2022)

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में अपनी तरह का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने और-पेशेवर और व्यवसायिक शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए, अत्यधिक कुशल और रोजगार-योग्य युवा और उद्यमी बनाने के लिए, रोजगार-सृजन, स्वरोजगार, गिग-आधारित-कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च गुणवत्ता कौशल शिक्षा, उद्यमिता, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन, रोजगार क्षमता,

प्रशिक्षण परामर्श, शिक्षता, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के वितरण को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग भागीदारी के साथ एकीकृत तरीके से प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को अपनी आय बढ़ाने के लिए रोजगार की सुविधा और स्वरोजगार मार्गदर्शन प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सहयोग करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए उद्योग को नौकरी के लिए तैयार कार्यबल प्रदान करने के लिए, अंततः राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, और उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक मामलों में उपबंध करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणतंत्र के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ:

- (1) इस अधिनियम को कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 कहा जा सकता है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ: इस अधिनियम में एवं इसके तहत बनाये गये सभी विनियमों एवं परिनियम के अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो-

- (क) "सहयोगी महाविद्यालय/संस्थान" में ऐसा महाविद्यालय या ऐसा संस्थान शामिल है जो कौशल विश्वविद्यालय के अलावा सरकार या अर्ध/क्वासी सरकारी/एस० पी० वी० एजेंसियों द्वारा स्थापित और अनुरक्षित किया जाता है, और इस अधिनियम के तहत कौशल विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रविष्ट हैं;
- (ख) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्दिष्ट कौशल विश्वविद्यालय के प्राधिकार;
- (ग) "उत्कृष्टता केन्द्र" से अभिप्रेत है अत्याधुनिक प्रशिक्षण या अनुसंधान केन्द्र जो उद्योग के सहयोग से या उद्योग और समाज के लाभ के लिए, छात्रों, सेवारत कर्मचारियों, कार्यरत पेशेवरों को सभी प्रकार के प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए और संयुक्त परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्थापित किया गया हो;
- (घ) "समुदायिक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है कौशल आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करने वाला संस्थान, जिसे विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
- (ङ) "अंशदान" चाहे उसे शुल्क सहित किसी भी नाम से पुकारा जाए, का अर्थ है कौशल विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थानों, कौशल केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों

द्वारा किए गए मौद्रिक संग्रह, जैसा भी मामला हो, जिसमें प्रशिक्षण, अधिगम एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के ट्यूशन खर्च शामिल हैं, वर्तमान आधारभूत संरचना, उपयोगिताओं की स्थापना, रख-रखाव और छात्रों/प्रायोजकों से किसी भी अन्य आकस्मिक खर्च सहित चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;

- (च) "अंगीभूत महाविद्यालय/संस्थान" का अर्थ कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्थान से है;
- (छ) "डिजिटल लर्निंग" का अर्थ है प्रारम्भ से अंत तक पूर्णरूपेण ऑनलाइन शिक्षा, तुल्यकालिक या अतुल्यकालिक, जिसमें भौतिक प्रयोगशाला या भौतिक स्थान पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह इन्टरनेट, ई-लर्निंग सामग्री का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के अलगाव पर काबू पाने और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त तंत्र और संसाधनों का उपयोग करके इन्टरनेट के माध्यम से पूर्ण कार्यक्रम वितरण द्वारा परिवर्तनीय शिक्षण का अवसर प्रदान करने का तरीका;
- (ज) "सरकार" या "राज्य सरकार" का अर्थ है झारखण्ड सरकार;
- (झ) "अधिसूचना" का अर्थ है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- (ञ) "मुक्त और दूरस्थ शिक्षा" का अर्थ है, संचार के एक से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अर्थात् प्रसारण टेलिकास्टिंग सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), पत्राचार पाठ्यक्रम, ऑनलाइन, डिजिटल, मिश्रित मोड, सम्पर्क कार्यक्रम और ऐसी कोई अन्य पद्धति। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की दूरी पर नियंत्रण के लिए परिवर्तनीय शिक्षण का अवसर प्रदान करना, जिसमें प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और सामायिक परस्पर संवाद के लिए शिक्षार्थी के साथ आमने-सामने की बैठकें सम्मिलित हैं, जिसमें शिक्षण देने-सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए प्रायोगिक कार्य या कार्यानुभव शामिल हैं;
- (ट) "विनियम" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कौशल विश्वविद्यालय के विनियम;
- (ठ) "अनुसूची" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए कौशल विश्वविद्यालय की अनुसूची;
- (ड) "धारा" का अर्थ है इस अधिनियम की एक धारा;
- (ढ) "राज्य" का अर्थ है झारखण्ड राज्य;

- (ण) "विद्यार्थी" का अर्थ है कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य शैक्षणिक योग्यता के अध्ययन के लिए नामांकित व्यक्ति;
- (त) "अध्ययन केन्द्र" का अर्थ है मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों को सलाह देने परामर्श देने या किसी अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित केन्द्र;
- (थ) "कौशल केन्द्र या सेटेलाइट केन्द्र या विद्यालय" का अर्थ है, उद्योग, छात्रों और स्थानीय जनसंख्या के लाभ के लिए व्यवसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र;
- (द) "कौशल विश्वविद्यालय" का अर्थ है कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय, झारखण्ड;
- (ध) "शिक्षक" का अर्थ है शिक्षक के रूप में अभ्यास , अभ्यास के प्राध्यापक, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके पास उपयुक्त पदवी हो, जिन्हें कौशल विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय या संस्थान में निर्देश देने, प्रशिक्षण देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है;
- (न) "व्यवसायिक शिक्षा" में योग्यता-निर्माण-मॉड्यूल, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, निरंतर शिक्षा या ऑन-द-गो लर्निंग के लिए क्रेडिट-आधारित-निरंतरता शामिल है जो कि समग्र जीवन में एक बार की डिग्री-आधारित शिक्षाशास्त्र की तुलना में कौशल-आधारित रोजगार क्षमता पर केन्द्रित है।

3. निगमन:

- (1) 'कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय' के नाम से एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- (2) कौशल विश्वविद्यालय उपर्युक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सम्पत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान व अनुबंध आदि की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर होगी, तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।
- (3) कौशल विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, कुलपति, प्रति कुलाधिपति, कुलसचिव, मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी, प्रत्यायक संकायाध्यक्ष, शासी परिषद्, सीनेट, व्यावसायिक शिक्षा परिषद्, प्रत्यायक परिषद् और अन्य सभी व्यक्ति शामिल होंगे जो आगे चलकर ऐसे पदाधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक की वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहते हैं।

- (4) कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राज्य के स्वामित्व वाले ऐसे परिसर (परिसरों) में होगा जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है। कौशल विश्वविद्यालय अपने परिसरों जिसमें पॉलिटेक्निक संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०), सामुदायिक महाविद्यालय, कौशल केन्द्र और डिजिटल लर्निंग अध्ययन केन्द्र सम्मिलित हैं, को ऐसे अन्य स्थानों पर स्थापित व अनुरक्षित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
- (5) कौशल विश्वविद्यालय हर समय सभी प्रवृत्त कानूनों व भूमि विनियमों का पालन करेगा।

4. राज्य नोडल एजेंसी:

- (1) प्रेझा फाउंडेशन, झारखण्ड सरकार की एक विशेष प्रयोजन वाहन, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना संख्या-24, दिनांक 27.07.2016 के धारा 6 में उल्लिखित है, सहवर्ती राज्य नोडल एजेंसी होगी, जो कि डिजाइन, स्थापना, संचालन और कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करेगी। इसके बाद इसे 'नोडल एजेंसी' के रूप में उल्लेखित किया गया है।
- (2) प्रेझा फाउंडेशन के निदेशक मंडल के पास राज्य सरकार से शक्तियों का पूर्ण प्रतिनिधान होगा जो कौशल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए अंतिम प्राधिकार होगा तथा इसे कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकार को ऐसे शक्ति प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी, जैसा वह उचित समझे। इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में कोई भी संशोधन, चाहे जोड़ना, हटाना या अन्य, नोडल एजेंसी के निदेशक मंडल से उचित अनुशंसा के अधीन औपचारिक अनुमोदन के आधार पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जा सकता है।
- (3) इस अधिनियम में, अनुसूची में संशोधन को छोड़कर, कोई भी संशोधन केवल राज्य विधानसभा द्वारा नोडल एजेंसी को ऐसे प्रस्ताव शासी परिषद् के सभी मतदान के पात्र सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत के साथ प्राप्त होने के बाद नोडल एजेंसी के निदेशक मंडल से औपचारिक अनुमोदन के आधार पर सर्वसम्मति से या कम से कम सभी मतदान के पात्र सदस्यों का तीन- चौथाई बहुमत के आधार पर उचित अनुशंसा के अधीन किया जा सकता है।
- (4) नोडल एजेंसी के पास पूर्व विद्यार्थियों का डेटाबेस, वेबसाइट/ऑनलाइन डोमेन ब्रांडिंग सहित सभी डिजिटल संपत्तियों का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट होगा, जिसमें कौशल विश्वविद्यालय का लोगो/शीर्षक (जैसा कि धारा 3(1) में निर्धारित है) और कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से उत्पन्न प्रजात्मक संपत्ति शामिल है जो किसी भी समय सीमा के बावजूद नोडल एजेंसी में निहित होगी।

5. शिक्षाशास्त्र, संरचना तथा कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्य:

(1) कौशल विश्वविद्यालय का शिक्षाशास्त्र:-

व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला कौशल विश्वविद्यालय अपनी स्थापना, कामकाज और उद्देश्यों में अकादमिक विश्वविद्यालय, जो कि उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, से निम्नलिखित रूप में अलग होगा:

- (क) व्यवसायिक शिक्षा उन उम्मीदवारों के लिए खोज का विकल्प होगा जो व्यावसायिक रूप से शिल्प, व्यापार या उद्यमिता के लिए जुनून रखते हैं या जिन्हें न्यूनतम अवसर लागत के साथ रोजगार योग्यता की आवश्यकता होती है।
- (ख) कौशल-आधारित रोजगार क्षमता, स्वरोजगार और गिग उद्योग आदि को सक्षम करने के लिए योग्यता-निर्माण-मॉड्यूल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि के डिजाइन और वितरण पर ध्यान देना। व्यावसायिक शिक्षा की परिणति अध्ययन के किसी भी विषय में अकादमिक अनुसंधान और सैद्धांतिक हितों की खोज करने की तुलना में व्यावहारिक व्यापार के निपुण होने में है।
- (ग) पारंपरिक आजीवन एक बार की डिग्री-आधारित शैक्षणिक योग्यताओं के लिए शिक्षाशास्त्र की तुलना में 'शिक्षार्थी केंद्रित' शिक्षा प्रतिमान के लिए प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा, आदि सहित क्रेडिट आधारित-सातत्य के माध्यम से प्रत्यय-पत्र प्रदान करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्ययन, अनुभव और अभ्यास की परिणति सहित जहाँ आवश्यक हो, डिग्री की पेशकश की जा सकती है।
- (घ) ऑन कैम्पस से लेकर ऑफ कैम्पस, डिजीटल, ऑनसाईट तथा रोजगार में प्रशिक्षण माध्यम सहित विभिन्न मिश्रित माध्यमों में सीखने के साथ अनुभवात्मक शिक्षा, उद्योग के बाद का अनुभव उद्यमिता के बड़े आख्यान को बढ़ाने हेतु निरंतर शिक्षा या सक्रिय ज्ञान, विशेष रूप से अभ्यासियों के लिए 'कमाते समय ज्ञान' प्रदान करना।
- (ङ) मांग-समन्वयित पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय उद्योग भागीदारी के साथ शिक्षार्थी-केन्द्रीयता के आधार पर कौशल विश्वविद्यालय के पास नवोन्मेषी दृष्टिकोणों के लिए परिवर्तनीयता होगी, जो तेज गति वाले, उद्योग संरेखित प्रौद्योगिकी अंतर्निहित, स्वभाव में प्रतिरूपक, डोमेन के ज्ञान और योग्यता पर केन्द्रित होगी, जिसमें उद्योग विशेषज्ञता, बाजार आधारित शिक्षाशास्त्र के साथ कई हित धारक शामिल होंगे।

- (च) कौशल विश्वविद्यालय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में, मांग-आकलन और कौशल-अंतराल, भविष्य के अनुमानों आदि के आधार पर प्रासंगिक होने के लिए बाजार और उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए अपने शासन, पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र, डिग्री सहित प्रमाण-पत्र प्रदान करना, पूर्व शिक्षा की मान्यता आदि में आवश्यक परिवर्तन, संशोधन और बदलाव लाएगा।
- (छ) कौशल विश्वविद्यालय के शिक्षक सामान्यतः सक्षम अभ्यासु होंगे जिनके पास कार्य अनुभव होगा या वो कुशल पेशेवर होंगे।
- (2) कौशल विश्वविद्यालय कुशल व्यावसायिक शिक्षा वितरण प्रदान करने के लिए एक स्तरीय दृष्टिकोण का पालन करेगा:-
- (क) क्रेडिट-आधारित सातत्य के माध्यम से रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम/मॉड्यूल; अंतराष्ट्रीय मानकों या बाजार की आवश्यकताओं या राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना या राष्ट्रीय व राज्य शिक्षा नीति के अनुरूप, प्रमाणन के विभिन्न स्तरों पर कौशल आधारित कार्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। जहाँ डिग्री प्रदान करने की आवश्यकता होगी, उसे कौशल विश्वविद्यालय के शासी परिषद् द्वारा यथा निर्धारित के साथ-साथ लागू प्रावधानों एवं मानकों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- (ख) विभिन्न कुशल पेशेवरों के कैरियर की प्रगति को सक्षम करने के लिए 'प्रेक्टिशनर-ऑन-द-गो-शिक्षा' प्रतिमान के आधार पर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा धारकों के लिए उन्नत डिप्लोमा से स्नातक तक की सतत शिक्षा जारी रखी जाएगी। जहाँ डिग्री प्रदान करने की आवश्यकता होगी, उसे कौशल विश्वविद्यालय के शासी परिषद् सहित द्वारा निर्धारित ऑन-द-गो-शिक्षा जारी रखने के लिए लागू मानदंडों तथा मानकों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- (ग) डिजिटल लर्निंग भी प्रदान की जाएगी जहाँ इसे सीखने का अनुप्रयोग डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित डोमेन की दिशा में हो और जहाँ रोजगार के अवसर आमतौर पर आभासी डोमेन में हो।
- (3) कौशल विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-
- (क) राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल शिक्षा में गुणवत्ता की अग्रणी संस्थान के रूप उभरना;
- (ख) कार्य या उद्यमिता में सीधे प्रवेश करने या एक स्टार्ट-अप प्रारम्भ करने में रुचि रखने वाले छात्रों को कैरियर-उन्मुख शिक्षा और कौशल प्रदान करना;

- (ग) अध्ययन, व्यापार व उद्योग आदि के क्षेत्रों में जिसमें नौकरियाँ उपलब्ध हैं या भविष्य में सृजित होने की संभावना है, या एक स्टार्ट-अप प्रारम्भ किया जा सकता है, जिसमें रोजगार क्षमता को बढ़ाने वाले कौशल प्रदान करना शामिल है, समय-समय पर प्रासंगिक डोमेन और विशेषज्ञता के व्यापक श्रेणियों को शामिल करते हुए शिक्षण, उद्यमशीलता प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रदान करना;
- (घ) कौशल शिक्षा के लिए निर्धारित राष्ट्रीय या राज्य योग्यता के अनुसार विभिन्न स्तरों पर कौशल दक्षता और योग्यता के साथ योग्य युवाओं का विकास करना;
- (ङ) कौशल शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता को एक एकीकृत और समग्र तरीके से बढ़ावा देना ताकि कैरियर की प्रगति और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए मार्ग सुनिश्चित किया जा सके;
- (च) परिवर्तनीय शिक्षण प्रणालियों के लिए अवसर प्रदान करना और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आजीवन निरंतर सीखने और कौशल विकास के लिए एक माध्यम प्रदान करना;
- (छ) स्वरोजगार और उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण के साथ उद्यमशीलता उन्मुखीकरण प्रदान करना;
- (ज) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोण और प्रणालियों के लिए उपयुक्त पारंपरिक या मिश्रित या दूरस्थ या खुली या ऑनलाइन शिक्षा और अन्य वितरण मॉड्यूल के माध्यम से पेश किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को जीवन भर और निरंतर प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना;
- (झ) योग्यता आधारित कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली तैयार करना;
- (ञ) बाजार और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण, पेशेवर और कौशल-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित एक शिक्षण अध्यापन प्रदान करना;
- (ट) किसी अन्य महाविद्यालय, संस्थान, विश्वविद्यालय, संगठन या निकाय आदि के सहयोग से कौशल विकास प्रयासों के समर्थन में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रचलनों का आदान-प्रदान करना;
- (ठ) शैक्षणिक संरचनाओं, सीखने की समय-सीमा, रचनात्मकता को पोषित करने और विकसित करने और उद्यमशीलता को सक्षम करने के लिए निरंतर मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सहजता के निर्माण के लिए नवीन दृष्टिकोण स्थापित करना;

- (ड) नवीनतम सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, शिक्षार्थियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षण संसाधनों को प्रदान करने के लिए पहुँच से बाहर लोगों तक पहुँचना;
- (ढ) मानव संसाधनों, यथा-कौशल विश्वविद्यालय एवं अन्य कौशल प्रदान करने वाली संस्थाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए, कार्यक्रम प्रारम्भ करना;
- (ण) नए उभरते हुए क्षेत्रों में नवोन्मेषी दृष्टिकोण के साथ कौशल विकास कार्यक्रम सॉफ्ट स्किल, पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना;
- (त) ऐसा शिक्षाशास्त्र प्रदान करना, जो शिक्षा के कई रूपों और शिक्षण अध्यापन और पाठ्यक्रम वितरण (मिश्रित या दूरस्थ या खुला या ऑनलाईन या कौशल या अन्य) को जोड़ता है और इस प्रकार एक 'आभासी परिसर' प्रदान करता है, जहाँ विद्यार्थी, अनुभवी शिक्षकों और उद्योग के सदस्यों, के साथ विकसित होने आएँगे;
- (थ) सरकारी और अर्ध-सरकारी एजेंसियों एवं सार्वजनिक और निजी उद्योगों को परामर्श प्रदान करना;
- (द) बाजार और उद्योग की कुशल जनशक्ति की जरूरतों या आवश्यकताओं के निर्धारण के उद्देश्य से उद्योग के साथ परामर्श और साझेदारी में अध्ययन और प्रशिक्षण मॉड्यूल के पाठ्यक्रम तैयार और डिजाइन करना तथा कौशल में कमियों का विश्लेषण करना;
- (ध) पारस्परिक लाभ के लिए उद्योग और संस्थानों को आमंत्रित करते हुए एक उद्योग अकादमिक साझेदारी बनाना;
- (न) यह सुनिश्चित करना कि डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का मानक, रोजगार तथा उद्यमिता, नवाचार और स्टार्ट-अप के शुभारंभ के लिए, बाजार और उद्योग की जरूरतों के संबंध में उपयुक्त है;
- (प) संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, प्रकाशनों, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल ज्ञान का प्रसार करना;
- (फ) व्यापार, उद्योग एवं संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं या एजेंसियों या राज्य के भीतर या अन्य राज्यों या भारत के केंद्र शासित प्रदेशों या विदेशों से प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए, संयुक्त कार्यक्रम या पाठ्यक्रम या अनुसंधान की पेशकश करने के लिए या शिक्षकों और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के लिए या जानकारी और सर्वोत्तम प्रचलनों को साझा करने

के लिए, और विद्यार्थियों के लाभ के लिए उपकरण या संसाधन या अनुदान या परामर्श देना या प्राप्त करना;

- (ब) उच्च विकास क्षेत्रों में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों की पेशकश करके विद्यार्थियों को तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को लाभकारी रोजगार परकता एवं शीर्ष गतिशीलता के लिए विभिन्न विशेषज्ञता प्रदान करना;
- (भ) आवश्यक कौशल तथा सहायता प्रणाली प्रदान करके उद्यमियों का निर्माण करना;
- (म) उत्पादों, सेवाओं, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक कार्यप्रणाली के माध्यम से, अनुकूल ज्ञान और नवाचार को सक्षम करने के लिए, टिकरिंग प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्रवाई अनुसंधान का अनुशीलन करना, तथा
- (य) कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी अन्य ध्येय को अग्रतर करना।

6. क्षेत्राधिकार का उपयोग : (1) कौशल विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण झारखण्ड में करेगा:

- (क) परन्तु यह कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र गैर-अनन्य तरीके से पूरे झारखण्ड राज्य में विस्तारित होगा, जिसमें व्यावसायिक, कौशल आधारित शिक्षा, उद्यमिता और विकास पर ध्यान देने के साथ शिक्षण या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने वाली संस्थाओं से संबंधित मामले शामिल हैं ।
- (ख) परन्तु यह कि डिजिटल लर्निंग प्रदान करने के मामलों में, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में कौशल विश्वविद्यालय के भौतिक भौगोलिक क्षेत्राधिकार की कोई सीमा नहीं होगी ।

7. अनाधिकृत संस्थानों द्वारा कौशल विश्वविद्यालय की ओर से डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने, अनुदान करने या जारी करने पर रोक: कोई भी असंबद्ध या गैर-मान्यता प्राप्त या गैर-सहयोगी महाविद्यालय या संस्थान या विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय की ओर से, किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा, जो कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान या जारी किए गए किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के समान या रंगीन नकल है।

8. कौशल विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कार्य : कौशल विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- (1) कौशल, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमिता के उभरते क्षेत्रों में सुविधाएँ, प्रशिक्षण प्रदान करना, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की नए सीमाएँ तथा राष्ट्रीय कौशल आयोग संरचना में उल्लिखित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं;
- (2) उभरते रुझानों को समझने के लिए श्रम बाजार की आवश्यकताओं में अनुसंधान करना;
- (3) रोजगारपरकता और उद्यमिता सहित शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल विकास के नवीन मॉडलों को बढ़ावा देने के लिए भारत या विदेशों में किसी भी संगठन के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और हिमायत करना;
- (4) कौशल शिक्षा के अंगीभूत/सहयोगी संस्थानों के रूप में स्थापित करना और मान्यता देना, ऐसे तरीकों और ऐसे मानकों के अनुसार, जो कौशल विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;
- (5) डिजिटल शिक्षा माध्यम सहित पारंपरिक और साथ ही नए अभिनव तरीकों के माध्यम से पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन, शिक्षण और अनुसंधान के संबंध में प्रावधान करना और सभी उपायों (पाठ्यक्रम को अपनाने और अद्यतन करने सहित) को अपनाना;
- (6) समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शैक्षणिक सुविधाओं के प्रसार के लिए विशेष उपाय करना;
- (7) कौशल विकास के शिक्षा शास्त्र अनुरूप विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली स्थापित करना;
- (8) विद्यार्थियों को व्यापार/योग्यता परीक्षणों के साथ या बिना सभी स्तरों पर क्रेडिट संचय, बैंकिंग एवं हस्तांतरण पूर्व आवश्यकताओं के सहित या बिना बहुप्रवेश-बहु निकास की सुविधा प्रदान करना;
- (9) बहु-प्रवेश और बहु निकास, पूर्व शिक्षा की मान्यता, ऋण बैंकिंग और हस्तांतरण, ऋण माफी, शीर्ष और पार्श्व गतिशीलता और ऐसी कोई अन्य योजना जो बड़े पैमाने पर कौशल विकास को बढ़ावा देती है, के लिए योजना स्थापित करना;
- (10) राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानकों सहित क्रेडिट ढांचे को विकसित करना;

- (11) विभिन्न स्तरों पर कौशल पाठ्यक्रम संकुल विकसित करना जैसा कि कौशल विश्वविद्यालय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों या राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है;
- (12) कौशल विश्वविद्यालय के अनुरूप कौशल शिक्षा, शिक्षण और निर्देश के मानकों को क्रेडिट ढांचे और पाठ्यक्रम संकुल के अनुरूप, परिभाषित करना और उन्हें रोजगारोन्मुख बनाना;
- (13) प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक पूर्व योग्यता के साथ या बिना पूर्व शिक्षा/योग्यता/अनुभव की मान्यता के लिए इन विशिष्टताओं/प्रत्यायों के अनुमोदन के लिए प्रत्यायक परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मानद विशिष्टता प्रदान करना;
- (14) विद्यार्थी को किसी भी स्तर के प्रमाणन के बाद अपने दम पर रोजगार की तलाश करने में सक्षम बनाना और जब भी संभव हो, योग्यता या कौशल दक्षताओं का उन्नयन करने के लिए कार्य वर्णन में बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास के माध्यम से वापस शामिल होने के लिए सक्षम बनाना;
- (15) रोजगार बाजार में मांग के अनुसार डोमेन क्षेत्रों में कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों की पेशकश, संशोधन या बंद करना;
- (16) उद्योग भागीदार (रों), उद्योग संघों, क्षेत्र कौशल परिषदों आदि के परामर्श से पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली विशिष्ट कार्य भूमिका (ओं) पर निर्णय लेना;
- (17) विद्यार्थियों के ऑन-साइट कौशल प्रशिक्षण की सुविधा के लिए प्रासंगिक उद्योग भागीदार (रों) के साथ एकरारनामा करना;
- (18) उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और असंगठित कार्यबल को शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना;
- (19) नवाचार प्रयोगशालाओं, सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों, कार्यशालाओं की स्थापना तथा शासन के सभी पहलुओं में सक्रिय भागीदारी पाठ्यक्रम डिजाईन, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, इंटरनशिप, परामर्श, संयुक्त परियोजनाओं आदि के माध्यम से औद्योगिक और उद्योग संबंधी संघों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना;
- (20) राज्य और देश के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों पर छात्र सेवा प्रदान करने के लिए परिसरों, क्षेत्रीय केन्द्रों, कौशल केन्द्रों, सामुदायिक महाविद्यालयों, अध्ययन केन्द्रों, सूचना केन्द्रों, प्रशिक्षण या परीक्षा केन्द्रों, उत्कृष्टता केन्द्रों आदि की स्थापना करना और शिक्षा, परामर्श, सूचना और प्रशिक्षण का प्रसार करना;
- (21) युवाओं में कौशल के क्षेत्र में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना;

-
- (22) युवाओं के बीच कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श को बढ़ावा देना
 - (23) कौशल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा के मानदंडों या ज्ञान और योग्यता के मूल्यांकन के किसी अन्य उपाय को परिभाषित करना;
 - (24) परीक्षा आयोजित करना या ज्ञान अथवा योग्यता का अन्य मूल्यांकन करना या परीक्षा या संस्थान की अन्य मूल्यांकन प्रणाली को मान्यता देना जैसा कौशल विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे;
 - (25) कौशल और उद्यमिता में छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए उद्योगों, कंपनियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों (कौशल ज्ञान प्रदाताओं के रूप में) के साथ सहयोग करना और उद्योग में ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण में एक विद्यार्थी द्वारा क्रेडिट अर्जित करने के उद्देश्य से प्राप्त योग्यता की मान्यता के लिए मानदंडों को परिभाषित करना;
 - (26) सीखने के परिणामों से समझौता किए बिना नई शिक्षा को बढ़ावा देने के अवसर के लिए क्रेडिट के हस्तांतरण के लिए मानदंड निर्धारित करना;
 - (27) महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुभव ज्ञान और योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों पर सहायक, अतिथि या विज़िटिंग शिक्षक के रूप में नियुक्त करना;
 - (28) राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना के तहत निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार या ऐसे अन्य मापदंडों के अनुसार कौशल शिक्षकों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन और मान्यता के मापदंड निर्धारित करना, जैसा कि कौशल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं;
 - (29) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण, परामर्श और सलाहकार सेवाओं सहित निर्देशों और अन्य सेवाओं के लिए छात्रों, संस्थान, उद्योग या निगमित निकाय से शुल्क और अन्य शुल्क के भुगतान सहित अंशदान निर्धारित करना निर्दिष्ट करना, तय करना, मांग करना और प्राप्त करना, जैसा कौशल विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे;
 - (30) केंद्र एवं राज्य सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकार प्राप्त करना और जैसा भी मामला हो, वसीयत, दान और वसीयतकर्ता, दाताओं या हस्तांतरणकर्ताओं से चल या अचल संपत्तियों का हस्तांतरण प्राप्त करना;
 - (31) पूर्व कौशल शिक्षा की मान्यता एवं पहचान के लिए, कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना स्वयं का विद्यालय (यों) का स्थापन;
 - (32) अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर परिसरों और प्रशिक्षण केंद्रों सहित इस तरह की बुनियादी संरचनाओं की स्थापना और रखरखाव करना;

- (33) फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, प्रदर्शनों, पुरस्कारों और पदक को संस्थापित करना और प्रदान करना;
- (34) कौशल प्राप्ति के वैश्विक मानकों तक पहुँचने के लिए संयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/विनिमय कार्यक्रमों की पेशकश में किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान के साथ समन्वय करना;
- (35) विदेशी उम्मीदवारों सहित विनिमय छात्रों के मामले में विनिमय संस्थान के साथ क्रेडिट को पारस्परिक रूप से स्थानांतरित करना;
- (36) वैश्विक मानकों के लिए योग्यता, ज्ञान और क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से कौशल शिक्षा संस्थानों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;
- (37) अपना खुद का निर्माण गृह इन्क्यूबेशन केन्द्र, रिटेल हाउस या सेवा केन्द्र या कोई अन्य केन्द्र स्थापित करना जो युवाओं के कौशल और उद्यमशीलता के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करे;
- (38) पद सृजित करना और कार्य अनुभव वाले सक्षम अभ्यासियों या शिक्षकों सहित शैक्षणिक पूर्व-योग्यता के साथ या बिना कुशल पेशेवरों, सह/सहायक/प्राध्यापक/अभ्यास के प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष, निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण/कुशल शिक्षकेत्तर, प्रशासनिक, उस्ताद, प्रदर्शक, अनुशिक्षक और लिपिकवर्गीय कर्मचारी और ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति के नियम एवं शर्तें निर्धारित करना, जो कौशल विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो या विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हों;
- (39) आवश्यकतानुसार, ऐसे प्रतिष्ठानों, उपक्रमों की स्थापना, रख-रखाव और प्रबंधन, जिनमें शामिल हैं-
- (क) ज्ञान संसाधन केन्द्र;
 - (ख) कौशल विश्वविद्यालय प्रसार बोर्ड;
 - (ग) सूचना प्रभाग;
 - (घ) रोजगार मार्गदर्शन प्रभाग;
 - (ङ) स्वायत्त मूल्यांकन बोर्ड;
- (40) छात्रों के कल्याण, समग्र विकास के लिए ऐसे उपाय करना जिसमें देशभक्ति, आत्म-अनुशासन, सहकर्मि सम्मान, स्थायी जीवन, सेवा की भावना को बढ़ावा देना शामिल है, साथ ही रैगिंग, उत्पीड़न, भेदभाव या बहिष्कार, शारीरिक या मानसिक अथवा रचनात्मक उत्पीड़न जैसे विकास में बाधाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करना;
- (41) कौशल विश्वविद्यालय की निधि या कौशल विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन को सिर्फ अनुमोदित वित्तीय साधनों में निवेश करना, जैसा उचित लगे एवं समय-समय पर किसी भी निवेश का निष्पादन करना;

- (42) कौशल विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति या किसी समिति या किसी उप-समिति या उसके निकाय के किसी या अधिक सदस्यों या उसके अधिकारियों को अपनी सभी या कोई भी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना;
- (43) छात्रों के निवास के संबंध में प्रावधान करना एवं ऐसी स्थिति प्रदान करना जिसमें कौशल विश्वविद्यालय आवासीय सुविधाएँ खोलना चाहे;
- (44) कौशल विश्वविद्यालय के मामलों और प्रबंधन को विनियमित करने और उन्हें बदलने, संशोधित करने और रद्द करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अनुसूची और विनियम बनाना;
- (45) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करना।

9. अंगीभूत/सहयोगी कौशल और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान: कौशल विश्वविद्यालय जब कभी भी उपयुक्त और उचित समझे, राज्य के स्वामित्व वाले परिसरों, अंगीभूत महाविद्यालयों, सहयोगी महाविद्यालयों और विशेष शिक्षा से संबंधित विद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०), व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, कौशल विकास, प्रसार, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, मान्यता प्रबंधन कर सकता है, जिसमें सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग शामिल हैं। यदि डिग्रियाँ दी जानी हैं, तो ऐसे केन्द्रों या महाविद्यालयों की स्थापना या संबंधिता लागू मानदंडों और मानकों के अनुसार की जाएगी जैसा शासी परिषद् सहित द्वारा निर्धारित किया गया है।

10. कौशल विश्वविद्यालय सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के लिए खुला होगा और जनता की सेवा में, समाज के गरीब तबके के लिए अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षाशास्त्र में समावेशी होगा:

- (1) कौशल विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे वह किसी भी लिंग, नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के हो और सदस्यों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, श्रमिकों को दाखिल करने या नियुक्त करने या कौशल विश्वविद्यालय के मामलों के किसी भी अन्य संबंध में धर्म, विश्वास या पेशे के संबंध में कोई परीक्षा या शर्त नहीं लगाई जाएगी और किसी भी उपकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव, कौशल विश्वविद्यालय के अधिकारियों की राय में, कौशल विश्वविद्यालय पर शर्तों या दायित्वों को थोपना है, जो इसकी पूर्वोक्त शक्ति का अनादर है।
- (2) कौशल विश्वविद्यालय में युवाओं के मेधावी लेकिन गरीब वर्गों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम शामिल होंगे, जिन्हें रोजगार परकता या उद्यमिता को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

- 11. कौशल विश्वविद्यालय का शिक्षण :** कौशल विश्वविद्यालय में समस्त अध्यापन कौशल विश्वविद्यालय द्वारा और उसके नाम से इस संबंध में बनाई गई विनियमों और अनुसूची के अनुसार संचालित किया जाएगा ।
- 12. कुलाधिपति:**
- (1) झारखण्ड के राज्यपाल कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
 - (2) कुलाधिपति उपस्थित होने पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करने के लिए, कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
 - (3) कुलाधिपति को कौशल विश्वविद्यालय के विषयों से संबंधित किसी भी मामलों के लिए प्रतिवेदन मांगने की शक्ति होगी ।
- 13. कौशल विश्वविद्यालय के पदाधिकारी:**
- (1) कौशल विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थात्:-
 - (क) अध्यक्ष;
अध्यक्ष, कौशल विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे।
 - (ख) कुलपति;
कौशल विश्वविद्यालय के स्नातक / स्नातकोत्तर / डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने के संबंध में कुलपति का शैक्षणिक मामलों पर प्रभुत्व होगा।
 - (ग) प्रति कुलाधिपति;
प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा।
 - (घ) कुलसचिव;
 - (ङ) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी;
 - (च) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष; तथा
 - (छ) कौशल विश्वविद्यालय की सेवा में या नियामक रूप से परिभाषित पदों पर कार्यरत अन्य व्यक्ति, जिन्हें कौशल विश्वविद्यालय का पदाधिकारी घोषित किया जा सकता है।
 - (2) शासी परिषद् को, अध्यक्ष के माध्यम से, कौशल विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियों और कार्यों के संबंध में प्रावधान करने के लिए धारा 17 के अधीन, सक्षम प्राधिकार के रूप में समझा जा सकता है, जैसा कि अनुसूची के अनुसार निर्धारित किया गया है।

14. कौशल विश्वविद्यालय के प्राधिकार:

- (1) कौशल विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, अर्थात्:-
 - (क) शासी परिषद्;
शासी परिषद् कौशल विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय होगा।
 - (ख) सीनेट;
सीनेट कौशल विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा।
 - (ग) व्यावसायिक शिक्षा परिषद्;
व्यावसायिक शिक्षा परिषद्, कौशल विश्वविद्यालय का प्रमुख व्यावसायिक शिक्षा वितरण निकाय होगा।
 - (घ) प्रत्यायक परिषद्;
 - (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकार जिसे अनुसूची द्वारा कौशल विश्वविद्यालय का प्राधिकार घोषित किया जा सकता है।
- (2) धारा 17 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन, कौशल विश्वविद्यालय के प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ और कार्य अनुसूची द्वारा निर्धारित होंगे।

15. निरर्हताएँ : कोई भी व्यक्ति कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह-

- (क) विकृत चित्त का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
- (ख) एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या
- (ग) अपने कार्यालय की अवधि के दौरान निजी कोचिंग में आर्थिक लाभ के साथ सम्मिलित है; या
- (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
- (ङ) किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी भी परीक्षा के संचालन में, किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल होने या बढ़ावा देने के लिए, किसी भी दंड से दंडित किया गया है।

16. समितियाँ : कौशल विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी समिति का गठन कर सकते हैं जो ऐसी समिति द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हो। ऐसी समिति का गठन और प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और कर्तव्यों का पालन इस प्रकार से होगा जैसा कि अनुसूची या विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

17. अनुसूची

- (1) अनुसूची में सभी परिवर्तन वेबसाइट पर या ऐसे कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित किए जाएंगे जैसा कि कौशल विश्वविद्यालय की शासी परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया है तथा उसे एक अधिकारिक अधिसूचना के रूप में समझा जाएगा।
- (2) इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन, नोडल एजेंसी के निदेशक मंडल से उचित अनुशंसा के अधीन औपचारिक अनुमोदन के आधार पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जा सकता है।
- (3) कौशल विश्वविद्यालय की शासी परिषद्, नोडल एजेंसी के निदेशक मंडल से उचित अनुमोदन के बाद निम्नलिखित पर अनुसूची (इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची को छोड़कर) बना या संशोधित कर सकती है:
 - (क) कौशल विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रबंधन; एवं
 - (ख) उन सभी मामलों (इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन को छोड़कर) के लिए प्रावधान जो इस अधिनियम द्वारा अनुसूची के तहत निर्धारित किए जाने हैं।

18. प्रवेश और छात्र संबंधित मामले:

- (1) कौशल विश्वविद्यालय में प्रवेश, जिसमें प्रति वर्ष विभिन्न प्रवेश चक्र, बहु-प्रवेश-बहु-निकास शामिल हैं, शासी परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रवेश नीति के आधार पर किया जाएगा।
- (2) अनुशासन बनाए रखने, उपस्थिति, रैंगिंग की रोकथाम आदि से संबंधित छात्र मामले ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

19. दीक्षांत समारोह: कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में आयोजित किए जा सकते हैं।

20. कौशल विश्वविद्यालय का सहयोग: कौशल विश्वविद्यालय समसामयिकता और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रौद्योगिक प्लेटफार्मों की स्थापना, प्रबंधन या विकास के लिए संयुक्त प्रमाणन/डिप्लोमा/डिग्री सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करेगा।

21. वार्षिक प्रतिवेदन: कौशल विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन सीनेट द्वारा तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य मामलों के अलावा, कौशल विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम शामिल होंगे और इसे शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसकी एक प्रति नोडल एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी।

22. निधि और लेखा:

- (1) कौशल विश्वविद्यालय के पास एक सामान्य निधि होगी जिसमें जमा किया जाएगा-
 - (क) शुल्क, अनुदान, दान और उपहार से अपनी आय में अंशदान, यदि कोई हो;
 - (ख) राज्य या केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी एजेंसी या निगम या किसी अन्य निगम या बहुपक्षीय एजेंसी या परोपकारी संगठन या किसी अन्य निकाय या ट्रस्ट द्वारा किया गया कोई अंशदान या अनुदान;
 - (ग) दान और अन्य प्राप्तियाँ;
 - (घ) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श और अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय; तथा
 - (ङ) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कोई अन्य वित्तीय सहायता या अनुदान या कोई अन्य राशि।
- (2) कौशल विश्वविद्यालय के पास ऐसी निधियाँ हो सकती हैं; जो अनुसूची और विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
- (3) कौशल विश्वविद्यालय की निधियाँ और सभी धन का प्रबंधन इस तरह से किया जाएगा, जैसा कि शासी परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित कौशल विश्वविद्यालय की नीतियों में हो ।
- (4) राज्य सरकार विभिन्न परिसरों में पूंजी निवेश की सुविधा, कौशल पाठ्यक्रमों, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परिचालन व्यय सहित सहायता अनुदान प्रदान कर सकती है।

23. वार्षिक लेखा:

- (1) कौशल विश्वविद्यालय के वित्तीय आय-व्यय का ब्यौरा सहित वार्षिक लेखाओं को सीनेट के निर्देशों के तहत तैयार किया जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष न्यूनतम एक बार कौशल विश्वविद्यालय की शासी परिषद् द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा की जाएगी।
- (2) अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा की एक प्रति शासी परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) शासी परिषद् की टिप्पणियों के साथ वार्षिक लेखा और अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति नोडल एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी।

24. कौशल विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों की नियुक्ति और सेवा निरंतरता के लिए योग्य प्रतिभा ही एकमात्र आधार होगा: कौशल विश्वविद्यालय के सभी कार्मिक नियुक्तियाँ चाहे उन्हें किसी भी नाम और पदनाम से पुकारा जाए, केवल योग्यता के आधार पर, पदोन्नति और सेवा में निरंतरता, प्रदर्शन या आवश्यकता के आधार पर होगी।

25. रिक्तियों के कार्यवाही को अमान्य नहीं करना: इस अधिनियम के अधीन कौशल विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्न आधार पर अमान्य नहीं होगी, किसी -

- (क) प्राधिकार या निकाय के गठन में रिक्ति या त्रुटि; या
- (ख) चुनाव, नामांकन या उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि या अनियमितता; या
- (ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में दोष या अनियमितता, जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है।

26. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण: इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कार्मिक के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

अनुसूची

परिनियम

1. राजकीय लोक विश्वविद्यालय : कौशल विश्वविद्यालय जनता की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से वास्तविकता में पूर्ण स्वायत्तता एवं वित्तीय स्वतंत्रता के लिए राज्य नोडल एजेंसी को प्रत्यायोजित शक्तियों के माध्यम से राजकीय लोक विश्वविद्यालय के रूप में सार्वजनिक हित के कार्य करेगा।

2. निगमन: कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय खूँटी, झारखण्ड में होगा।

3. अध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:

(1) अध्यक्ष की नियुक्ति:-

- (क) अध्यक्ष की नियुक्ति नोडल एजेंसी द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।
- (ख) अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले नोडल एजेंसी एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिससे नोडल एजेंसी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी:
 - (i) नोडल एजेंसी के दो नामित व्यक्ति; तथा
 - (ii) शासी परिषद् का एक नामित व्यक्ति

- (ग) कौशल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आदर्श रूप से अपने उद्योग में अग्रणी होंगे विशेषकर किसी प्रतिष्ठित संस्थान या समान मानदण्ड के संस्थान के पूर्व छात्र होंगे साथ ही जिनकी उद्योग/उद्यमी पृष्ठभूमि भी होगी।
- (घ) तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह नोडल एजेंसी द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिसकी अवधि की सीमा नोडल एजेंसी द्वारा तय की जाएगी।
- (ङ) यह एक मानद पद होगा तथा कौशल विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा किए गए सभी उचित व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी और कौशल विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से भुगतान किया जाएगा।
- (च) पहले अध्यक्ष की नियुक्ति नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी।
- (छ) उसे दिए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद जो आवश्यक हो, यदि नोडल एजेंसी की राय है कि अध्यक्ष के पद पर बने रहना कौशल विश्वविद्यालय के हित में नहीं हो सकता है, तो नोडल एजेंसी, लिखित में कारण बताते हुए आदेश द्वारा अध्यक्ष को आदेश में निर्दिष्ट तिथि से अपना पद त्यागने का निर्देश दे सकती है:
- परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश जारी करने से पहले, अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- (ज) अध्यक्ष, नोडल एजेंसी के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत एक लिखित दस्तावेज द्वारा पद त्याग सकते हैं:
- परन्तु यह कि अध्यक्ष, नोडल एजेंसी द्वारा उनके त्याग पत्र की स्वीकृति की तिथि तक पद पर बने रहेंगे।
- (झ) मृत्यु, दोषसिद्धि या अन्यथा के कारण अध्यक्ष के कार्यालय में अचानक रिक्ति होने की स्थिति में उप-धाराओं (क) और (ख) के अनुसार अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति होने तक कुलपति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे:
- परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।
- (2) अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य:-
- (क) अध्यक्ष, कौशल विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे।
- (ख) अध्यक्ष, शासी परिषद् की बैठक और जब कुलाधिपति उपस्थित न हों, डिप्लोमा, डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे:
- परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ऐसे कार्यों का संचालन शासी परिषद् द्वारा नामित किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा:

परन्तु यह कि शासी परिषद् द्वारा लिए गए किसी निर्णय के संबंध में बराबरी होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

- (ग) किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों हेतु बाध्यकारी होगा।
- (घ) अध्यक्ष के पास कौशल विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकार से कोई सूचना या अभिलेख मांगने की शक्ति होगी।

4. कुलपति की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:

(1) कुलपति की नियुक्ति:-

- (क) कुलपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा नोडल एजेंसी के अनुमति से चयन समिति की अनुशंसा पर तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
- (ख) कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले, नोडल एजेंसी एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिससे नोडल एजेंसी कुलपति की नियुक्ति करेगी:
 - (i) नोडल एजेंसी का एक नामित व्यक्ति जो समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा;
 - (ii) अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति; और
 - (iii) शासी परिषद् का एक नामित व्यक्ति
- (ग) कुलपति उद्योग में पूर्व/वर्तमान बोर्ड सदस्यता (ओं) के साथ समृद्ध प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। उपयुक्त व्यक्ति जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों या इसी तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षक रहे हैं, पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) कुलपति के रूप में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा तय की गई अवधि तक सीमित, पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य माना जा सकता है।
- (ङ) प्रथम कुलपति की नियुक्ति नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी।
- (च) किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद जो आवश्यक हो, यदि नोडल एजेंसी की राय है कि कुलपति का पद पर बने रहना कौशल विश्वविद्यालय के हित में नहीं हो सकता है, नोडल एजेंसी, लिखित में कारण बताते हुए एक आदेश द्वारा, कुलपति को आदेश में निर्दिष्ट तिथि से अपने कार्यालय को त्यागने का निर्देश दे सकती है:

परन्तु यह कि इस उप-धारा के तहत कोई कार्रवाई करने से पहले कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

- (छ) कुलपति नोडल एजेंसी के अध्यक्ष को संबोधित और अपने हस्ताक्षर के तहत एक लिखित दस्तावेज द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं:

परन्तु यह कि कुलपति नोडल एजेंसी द्वारा अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

- (ज) मृत्यु, दोषसिद्धि या अन्यथा के कारण कुलपति के कार्यालय में अचानक रिक्ति होने की स्थिति में, नोडल एजेंसी कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को उप-धारा (क) एवं (ख) के अनुसार कुलपति की नियमित नियुक्ति होने तक कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है:

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

- (2) कुलपति की शक्तियाँ और कार्य:- कौशल विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने के संबंध में कुलपति का शैक्षणिक मामलों पर प्रभुत्व होगा-

- (क) शासी परिषद् को विशेष रूप से मानदंडों एवं कौशल विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकों के संबंध में परामर्श देना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (ख) कौशल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्रशिक्षण और परामर्श डोमेन में कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की शुरुआत और शिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए संबंधित प्रमुखों/संकायाध्यक्षों के साथ समन्वय;
- (ग) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ पेश किए गए या पेश किए जाने वाले अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों से संबंधित गुणवत्ता, मानदंडों और मानकों का पालन सुनिश्चित करना;
- (घ) अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना;
- (ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों को पालन करना, जो कौशल विश्वविद्यालय के अनुसूची और विनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

5. प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:

(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति:-

(क) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा नोडल एजेंसी के अनुमति से चयन समिति की अनुशंसा पर तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यह कि प्रथम प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी।

(ख) प्रति कुलाधिपति के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले, नोडल एजेंसी एक चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिससे नोडल एजेंसी प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति करेगी:

(i) नोडल एजेंसी का एक नामित व्यक्ति जो समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा;

(ii) अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति; तथा

(iii) शासी परिषद् का एक नामित व्यक्ति

(ग) प्रति कुलाधिपति के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पात्रता मानदंड (अकादमिक/अनुसंधान/कौशल विशेषज्ञता/आदि) और उद्योग का अनुभव, विनियमों तथा अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(घ) प्रति कुलाधिपति के रूप में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा तय की गई अवधि तक पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य माना जा सकता है।

(ङ) प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा या नोडल एजेंसी से प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

(च) दिए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद जो आवश्यक हो, यदि नोडल एजेंसी की राय है कि प्रति कुलाधिपति का पद पर बने रहना कौशल विश्वविद्यालय के हित में नहीं हो सकता है, तो नोडल एजेंसी लिखित में कारण बताते हुए एक आदेश द्वारा, प्रति कुलाधिपति को आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से अपने कार्यालय को त्यागने का निर्देश दे सकती है:

परन्तु यह कि इस उप-धारा के तहत कोई कार्रवाई से पहले, प्रति कुलाधिपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

- (छ) प्रति कुलाधिपति नोडल एजेंसी के अध्यक्ष को संबोधित और अपने हस्ताक्षर के तहत एक लिखित दस्तावेज द्वारा अपना पद त्याग सकता है:

परन्तु यह कि प्रति कुलाधिपति नोडल एजेंसी द्वारा अपने त्याग पत्र की स्वीकृति की तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

- (ज) प्रति कुलाधिपति के कार्यालय में मृत्यु दोषसिद्धि या अन्यथा के कारण अचानक रिक्ति होने की स्थिति में, नोडल एजेंसी उप धारा (क) एवं (ख) के अनुसार प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति तक प्रति कुलाधिपति के रूप में कार्य करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त कर सकती है:

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

- (2) प्रति कुलाधिपति की शक्तियाँ और कार्य:-

- (क) प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा और कौशल विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य संचालन और नियंत्रण का प्रयोग करेगा।
- (ख) कौशल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों से संबंधित मामलों पर, जहां स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने का संबंध है, प्रति कुलाधिपति, कुलपति से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।
- (ग) प्रति कुलाधिपति, कौशल विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों के निर्णयों को क्रियान्वित करेगा और कौशल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और प्राधिकारों द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करेगा।
- (घ) जहाँ प्रति कुलाधिपति की राय में किसी ऐसे मामले पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है जिसके लिए अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी अन्य प्राधिकार को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वह ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह आवश्यक समझे, और, उसके बाद जल्द से जल्द अवसर पर, उसके द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन ऐसे अधिकारी या प्राधिकार को देगा, जो सामान्य तौर पर मामलों से निपटता है:

परन्तु यह कि यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकार की राय में प्रति कुलाधिपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो ऐसा मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु यह भी कि जहाँ प्रति कुलाधिपति द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव

डालती है, ऐसा व्यक्ति उस तिथि से तीन माह के अंदर शासी परिषद् के समक्ष अपील करने का हकदार होगा, जिस तिथि को उसे ऐसी कार्रवाई की सूचना दी जाती है, तथा शासी परिषद् प्रति कुलाधिपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि या संशोधन या निरस्त कर सकती है।

- (ड) जहाँ प्रति कुलाधिपति की राय में, कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अधिनियम द्वारा ऐसे प्राधिकार को प्रदत्त शक्तियों के भीतर नहीं है या कौशल विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, वह अपने निर्णय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपने निर्णय को संशोधित करने के लिए संबंधित प्राधिकार से तत्काल अनुरोध करेगा, और यदि प्राधिकार ऐसे निर्णय को पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित करने से मना करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहता है, तो ऐसे मामले को प्रति कुलाधिपति द्वारा अध्यक्ष को संदर्भित किया जाएगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।
- (च) प्रति कुलाधिपति व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष होगा और व्यावसायिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के संबंध में बराबरी की स्थिति में उसका निर्णायक मत होगा।
- (छ) प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय के अधिनियम, अनुसूची और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (ज) प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, लेकिन जब तक वह उस विशेष प्राधिकार का सदस्य न हो मतदान का हकदार नहीं होगा।
- (झ) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा या उसके खिलाफ सभी वादों और अन्य कानूनी कार्यवाही में, प्रति कुलाधिपति द्वारा अभिवचनों पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा और ऐसे वादों और कार्यवाही में सभी प्रक्रियाएँ प्रति कुलाधिपति को जारी की जाएंगी।
- (ञ) प्रति कुलाधिपति की निम्नांकित शक्तियाँ होंगी-
- (i) कौशल विश्वविद्यालय की योजना और विकास से संबंधित मामलों पर शासी परिषद् को विशेष रूप से कौशल विश्वविद्यालय में शिक्षण और अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों के संबंध में परामर्श देना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना
 - (ii) कौशल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्रशिक्षण और परामर्श डोमेन में कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों की शुरुआत और शिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए संबंधित प्रमुखों/संकायाध्यक्षों के साथ समन्वय;

- (iii) शैक्षणिक नेतृत्व और उत्कृष्टता के लिए प्रेरणा प्रदान करना
- (iv) शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर भारत और विदेशों में किसी भी विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, केन्द्र के साथ सहयोग के लिए प्रमुखों/संकायाध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (v) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र आदि जैसे अन्य संस्थानों की सदस्यता के लिए आवेदन करना;
- (vi) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित या पेश किए जाने वाले अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों से संबंधित गुणवत्ता, मानदंडों और मानकों का पालन सुनिश्चित करना;
- (vii) मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, आदि;
- (viii) शासी परिषद् और सिनेट को छोड़कर कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी खंड या प्राधिकार की बैठक बुलाना या आयोजित करना;
- (ix) सीनेट के पूर्व अनुमोदन से नियमित नियुक्ति करना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है-
 - क) शिक्षण कर्मचारी के सभी पदों के लिए; तथा
 - ख) प्रशासनिक कर्मचारियों और तकनीकी सहायक कर्मचारी के बीच अधिकारियों के पदों के लिए;
- (x) सीनेट के पूर्व अनुमोदन से छात्रवृत्ति फेलोशिप, पदकों और पुरस्कारों की पेशकश के लिए प्रावधान करना;
- (xi) पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों, सलाहकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना जो कौशल विश्वविद्यालय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (xii) सीनेट के अनुमोदन से शिक्षण कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी और तकनीकी सहायता कर्मचारी की सेवा की परिलब्धियाँ और अन्य नियम और शर्तें तय करना, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
- (xiii) ऐसे व्यक्तियों की सीनेट के अनुमोदन से अस्थायी नियुक्तियाँ करना जिन्हें वह कौशल विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक समझे, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि किसी भी अत्यावश्यक मामले में, प्रति कुलाधिपति ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए

कर सकता है और ऐसी नियुक्तियों की सूचना सीनेट को अगली बैठक में दी जाएगी।

(xiv) निम्नलिखित को अवकाश प्रदान करना-

क) शिक्षण कर्मचारी; तथा

ख) प्रशासनिक कर्मचारियों और तकनीकी सहायक कर्मचारियों के बीच के अधिकारी तथा ऐसे कर्मियों की अनुपस्थिति के दौरान उनके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(xv) विनियमों के अनुसार कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को अनुपस्थिति की स्वीकृति देना और यदि वह ऐसा चाहता है, तो ऐसी शक्तियों को कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करना;

(xvi) ऐसे अधिकारी के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना, जिसका पद, सेवानिवृत्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, जब तक कि ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती;

(xvii) कौशल विश्वविद्यालय में अनुशासन का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करना और कोई शक्ति ऐसे पदाधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना, जो वह ठीक समझे;

(xviii) विनियमों के अनुसार कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी या कर्मियों को निलंबित करना और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को प्रारम्भ करना;

(xix) अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना;

(xx) कौशल विश्वविद्यालय के कर्तव्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों को करना।

6. कुलसचिव की नियुक्ति शक्तियाँ और कार्य:

(1) कुलसचिव की नियुक्ति:-

(क) प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति नोडल एजेंसी के द्वारा की जाएगी। प्रथम कुलसचिव के कार्यकाल के पूर्ण होने के उपरांत अध्यक्ष इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति, जैसा कि शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, की अनुशंसा पर तथा नोडल एजेंसी की अनुमति से आगामी कुलसचिवों की नियुक्ति करेंगे।

(ख) वह प्रति कुलाधिपति को रिपोर्ट करेगा।

(ग) वह कौशल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा या नोडल एजेंसी से प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

- (घ) वह पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और नोडल एजेंसी द्वारा तय की गई अवधि तक सीमित होकर पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगा।
- (ङ) किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने बाद जो आवश्यक हो, यदि प्रति कुलाधिपति की राय है कि कुलसचिव को पद पर बने रहना कौशल विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह एक कारण बताते हुए लिखित में आदेश द्वारा कुलसचिव को आदेश में निर्दिष्ट तिथि से अपने कार्यालय को त्यागने का निर्देश दे सकती है:

परन्तु यह कि इस उप-धारा के तहत कोई कार्रवाई करने से पहले, प्रति कुलाधिपति यह सुनिश्चित करेगा कि कुलसचिव को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उसे नोडल एजेंसी का अनुमोदन प्राप्त हो।

- (च) कुलसचिव अपने हस्ताक्षर के तहत और प्रति कुलाधिपति को संबोधित एक लिखित दस्तावेज द्वारा अपना पद त्याग सकता है:

परन्तु यह कि कुलसचिव नोडल एजेंसी द्वारा अपना त्याग पत्र की स्वीकृति की तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

- (छ) मृत्यु, दोषसिद्धि या अन्यथा के कारण कुलसचिव के कार्यालय में अचानक रिक्ति होने की स्थिति में प्रति कुलाधिपति, कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी या कर्मी को उप-धारा (क) के अनुसार कुलसचिव की नियमित नियुक्ति तक कुलसचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) कुलसचिव की शक्तियाँ और कार्य:-

- (क) कुलसचिव शासी परिषद् सीनेट, व्यावसायिक शिक्षा परिषद् और प्रत्यायक परिषद् के सदस्य-सचिव होंगे, लेकिन उन्हें मताधिकार नहीं होगा;
- (ख) कौशल विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी दस्तावेजों और अभिलेखों को प्रमाणित किया जाएगा;
- (ग) कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का पालन करेगा-
- (i) कौशल विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के अभिलेखों, बैठकों की कार्यवाही, सामान्य मुहर और कौशल विश्वविद्यालय की सभी संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करना;
- (ii) अध्यक्ष, कुलपति, प्रति कुलाधिपति या कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार के समक्ष, ऐसी सभी जानकारी और दस्तावेज रखना जो उनके कार्यों के लेनदेन के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

- (iii) कौशल विश्वविद्यालय की ओर से आधिकारिक पत्राचार करने के लिए और अधिनियम के प्रावधानों, अनुसूची और विनियमों के अधीन कौशल विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों के उचित रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होना;
- (iv) अध्यक्ष या प्रति कुलाधिपति के निर्देशानुसार शासी परिषद्, सीनेट, व्यावसायिक शिक्षा परिषद् और किसी अन्य समिति या निकाय की सभी बैठकों के संबंध में सूचना जारी करना;
- (v) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाही में कौशल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करना और ऐसे मामलों में पैरवी करना या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि की प्रतिनियुक्ति करना;
- (vi) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों की एक पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना;
- (vii) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए सभी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री या किसी भी अकादमिक सम्मान का एक पंजी संधारित करना;
- (viii) प्रति कुलाधिपति द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, कौशल विश्वविद्यालय के कर्मियों को निलंबित करना और उन पर पर अनुशासनात्मक नियंत्रण को प्रारम्भ करना;
- (ix) प्रति कुलाधिपति और अध्यक्ष को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में उनके द्वारा वांछित सहायता प्रदान करना;
- (x) तकनीकी सहायक कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच अधिकारियों के स्तर से नीचे के पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
- (xi) कौशल विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों के सेवा अभिलेखों का संधारण करना;
- (xii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो समय-समय पर शासी परिषद्, सीनेट या अध्यक्ष या कुलपति या प्रति कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;
- (xiii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो कौशल विश्वविद्यालय के विनियमों तथा अनुसूची में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

7. मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:

- (1) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा, शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी, जैसा कि विनियमों और अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (2) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

8. प्रत्यायक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:

- (1) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा, शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी, जैसा कि विनियमों तथा अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (2) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिसमें साख के सभी पहलुओं के संबंध में जैसे मानदंड और मानकों को निर्धारित करना, मूल्यांकन का तरीका तथा प्रमाणन आदि शामिल हैं, जैसा कि शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

9. शासी परिषद्:

- (1) शासी परिषद् का गठन:-

(क) कौशल विश्वविद्यालय के शासी परिषद् में इसके प्रारंभिक गठन के रूप में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे अर्थात्:-

- (i) अध्यक्ष;
- (ii) कुलपति;
- (iii) प्रति कुलाधिपति;
- (iv) नोडल एजेंसी के दो प्रतिनिधि;
- (v) नोडल एजेंसी द्वारा नामित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या झारखण्ड के इसी तरह के समकक्ष संस्थान के एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र या शिक्षक;
- (vi) झारखण्ड सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के दो अधिकारी;
- (vii) उद्योग निकायों या फोकस क्षेत्रों की अनुशंसा पर अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन प्रतिष्ठित उद्योगपति;
- (viii) कौशल विश्वविद्यालय से एक वरिष्ठ संकाय सदस्य; तथा
- (ix) कौशल विश्वविद्यालय के कुलसचिव।

(ख) अध्यक्ष शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे और उसकी अनुपस्थिति में, उसके द्वारा नामित शासी परिषद् का कोई सदस्य इसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

- (ग) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, शासी परिषद् के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से तीन वर्ष का होगा।
- (घ) एक पदेन सदस्य तब तक बना रहेगा तब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है।
- (ङ) पदेन सदस्यों को छोड़कर मनोनीत सदस्यों में से एक-तिहाई प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे। पहले दो अवस्थाओं में शासी परिषद् उन सदस्यों की पहचान करने की प्रक्रिया तय करेगी जो सेवानिवृत्त होंगे।
- (च) एक सदस्य को अगले अनुवर्ती कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया जा सकता है।
- (छ) कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर और अध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन वह अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने की तिथि तक पद पर बना रहेगा।
- (ज) ऐसे सदस्य की पदावधि के दौरान किसी सदस्य (पदेन सदस्य को छोड़कर) की सदस्यता समाप्त होने के कारण किसी भी कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति को उप-धारा (क) में शासी परिषद् के गठन के लिए प्रदान की गई पद्धति से भरा जायेगा:

परन्तु यह कि आकस्मिक रिक्ति के लिए नामित व्यक्ति ऐसे सदस्य के पद की शेष कार्यकाल के लिए सदस्य होगा, जिसके सदस्यता की समाप्ति के परिणामस्वरूप आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है।

- (झ) शासी परिषद् यथासंभव एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।
- (ञ) शासी परिषद् की बैठक के लिए अध्यक्ष के साथ न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा कोरम पूरा किया जायेगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक के लिए एक सभाध्यक्ष का चयन कर सकते हैं:

परन्तु यह कि सदस्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से या टेलीकांफ्रेंसिंग या विडियो कान्फ्रेंसिंग या किसी अन्य प्रकार की भागीदारी के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के किसी अन्य माध्यम से भाग ले सकते हैं।

- (ट) शासी परिषद् के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे:

परन्तु यह कि जिन मामलों में शासी परिषद् के निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिए जा सकते हैं, निर्णय बहुमत के माध्यम से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रौद्योगिकी सम्मिलित है, बैठक में भाग ले रहे शासी परिषद् के कम से कम चार सदस्यों के कोरम द्वारा लिया जायेगा।

- (2) शासी परिषद् की शक्तियाँ और कार्य:-

- (क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, शासी परिषद् को नोडल एजेंसी के निदेशक द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा सकती हैं जैसे कि कौशल विश्वविद्यालय के मामलों और व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक है।
- (ख) कौशल विश्वविद्यालय की सभी संपत्ति शासी परिषद् में निहित होगी, जिसमें सक्षम प्राधिकारों की पूर्व स्वीकृति होगी।
- (ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, शासी परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-
- (i) कौशल विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों, समितियों और निकायों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करना;
 - (ii) उन मामलों में कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार द्वारा निर्णयों की समीक्षा करना जहाँ कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय अधिनियम या अनुसूची या विनियमों के प्रावधानों के तहत शक्ति के अनुरूप नहीं हैं;
 - (iii) कौशल विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
 - (iv) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा पालन और कार्यान्वित की जाने वाली नीतियों को निर्धारित करना;
 - (v) कौशल विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक समझे जाने वाले पदों को सृजन या समाप्त करना;
 - (vi) कौशल विश्वविद्यालय के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति करना;
 - (vii) सीनेट और कौशल विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों या प्राधिकारों को ऐसी शक्तियाँ सौंपना जो वह ठीक समझे;
 - (viii) कौशल विश्वविद्यालय के ऐसे सभी कार्य करना जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो;
 - (ix) सीनेट की अनुशंसा पर कौशल विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार अभ्यासियों को शिक्षक के रूप में, अभ्यास के प्रोफेसरों, एमेरिटस प्राध्यापकों, विजिटिंग प्राध्यापकों, विजिटिंग फेलो, अनुबंधित प्राध्यापकों आदि की नियुक्ति के लिए प्रावधान करना;
 - (x) कौशल विश्वविद्यालय और आवश्यक अनुसंधान, शिक्षा और निर्देश के लिए ऐसे केंद्रों का प्रशासन और प्रबंधन करना जो कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं;
 - (xi) विश्वविद्यालय के व्यय को विनियमित करना और लेखा का प्रबंधन करना;

- (xii) वचन पत्र, विनियम के बिल, चेक या अन्य परक्राम्य दस्तावेजों को निर्गत करना और स्वीकार करना, बनाना और अनुलेखित करना, छूट देना या तय करना;
 - (xiii) सक्षम प्राधिकारों के पूर्व अनुमोदन के साथ कौशल विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों सहित या कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण, स्थानांतरण, परिवहन, गिरवी, पट्टे, अनुज्ञप्ति और समझौतों को निष्पादित करना;
 - (xiv) कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी कक्षाओं और विभागों को त्यागना और बंद करना;
 - (xv) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारों के साथ एकरारनामा करना;
 - (xvi) समीचीन समझी जाने वाली शर्तों पर किसी भी प्रकार की संपत्ति के अनुदान धन एवं प्रतिभूतियों को स्वीकार करना;
 - (xvii) सीनेट द्वारा तैयार किए गए विद्यार्थी योगदान जिसमें प्रशिक्षण, सीखने और सूचना प्रौद्योगिकी, रहने वाले बुनियादी ढाँचे, उपयोगिताओं, स्थापना, रख-रखाव का ट्यूशन खर्च और कौशल विश्वविद्यालय की आत्मनिर्भरता को सक्रिय करने वाले ऐसे अन्य खर्च शामिल हैं, को स्वीकृति देना;
 - (xviii) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे सभी कार्यों का निर्वहन करना जैसा अधिनियम में उल्लेखित है।
- (घ) जब शासी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है तो अध्यक्ष शासी परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचालन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकता है। प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सर्वसम्मति से या शासी परिषद् के कम से कम चार सदस्यों के कोरम के मतदान के बहुमत से सहमति न हो। इस प्रकार परिचालित और स्वीकृत संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा जैसा संकल्प शासी परिषद् की बैठक में पारित किया गया हो।
- (ङ) शासी परिषद् ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेगी जो समय-समय पर अनुसूची और विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (च) निदेशक मंडल के औपचारिक संकल्प के माध्यम से नोडल एजेंसी शासी परिषद् की संरचना में संशोधन कर सकती है।

10. सीनेट:

- (1) सीनेट अपने प्रारंभिक गठन के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-
 - (क) प्रति कुलाधिपति;

- (ख) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष;
 - (ग) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी;
 - (घ) नोडल एजेंसी द्वारा मनोनीत शासी परिषद् का एक सदस्य;
 - (ङ) कौशल विश्वविद्यालय के कर्मियों में से दो व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे; तथा
 - (च) कौशल विश्वविद्यालय के कुलसचिव
- (2) जहाँ तक स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने का संबंध है, कुलपति, कौशल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों से संबंधित, सीनेट मामलों की बैठकों में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होंगे।
 - (3) प्रति कुलाधिपति सीनेट के अध्यक्ष होंगे, परन्तु यह कि अध्यक्ष अपने विवेक से, शासी परिषद् के किसी अन्य सदस्य को सीनेट के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकते हैं।
 - (4) सीनेट यथासंभव प्रत्येक तीन महीने में एक बार बैठक करेगी।
 - (5) सीनेट की बैठक के कोरम के लिए कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे। प्रति कुलाधिपति की अनुपस्थिति की स्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक के लिए एक अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। सदस्य व्यक्तिगत रूप से या टेलीकांफ्रेंसिंग या विडियो कांफ्रेंसिंग या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की किसी अन्य माध्यम से भाग ले सकते हैं:

परन्तु यह कि सीनेट के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए

परन्तु यह भी कि जिन मामलों में सीनेट के निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिए जा सकते हैं, बहुमत के माध्यम से, जिसमें इलेक्ट्रानिक मतदान प्रौद्योगिकी माध्यम सम्मिलित है, सीनेट की बैठक में भाग ले रहे सीनेट के कम से कम तीन सदस्यों के कोरम द्वारा लिया जाएगा।

- (6) कौशल विश्वविद्यालय के विनियम, इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाई गई अनुसूची के तहत विनियमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी मामलों से संबंधित, सीनेट द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और शासी परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।
- (7) एक औपचारिक संकल्प के माध्यम से शासी परिषद्, सीनेट की प्रारंभिक या अनुवर्ती संरचना में संशोधन कर सकती है।
- (8) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सीनेट ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और कौशल विश्वविद्यालय के ऐसे सभी कार्यों का निर्वहन करेगी जैसा कि अधिनियम, अनुसूची या समय-समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है।

11. व्यवसायिक शिक्षा परिषद्:

- (1) व्यवसायिक शिक्षा परिषद् में प्रति कुलाधिपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो सीनेट द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं जैसा कि विनियमों और अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (2) प्रति कुलाधिपति व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष होंगे।
- (3) इस अधिनियम के प्रावधानों, अनुसूची और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अधीन, व्यावसायिक शिक्षा परिषद् कौशल विश्वविद्यालय का प्रमुख व्यावसायिक शिक्षा वितरण

निकाय होगा तथा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन संबंधित मामलों में समन्वय तथा सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

- (4) व्यावसायिक शिक्षा परिषद् की बैठकों के लिए कोरम ऐसा होगा जो सीनेट द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

12. प्रत्यायक परिषद्:

- (1) प्रत्यायक परिषद् में प्रत्यायक संकायाध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जो शासी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, जो शासी परिषद् द्वारा समझे गए प्राधिकार को प्रतिवेदित करेंगे।
- (2) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष, प्रत्यायक परिषद् के अध्यक्ष होंगे।
- (3) इस अधिनियम के प्रावधानों, अनुसूची और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अधीन, प्रत्यायक परिषद्, मानदंडों और मानकों, मूल्यांकन और प्रमाणन के तरीके को निर्धारित करेगा, मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और कौशल विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार, अन्य संस्थानों (प्रशिक्षण संस्थानों सहित) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठनों, उद्योग, राज्य और केन्द्र सरकारों की अन्य एजेंसियों, केन्द्र शासित प्रदेशों और अन्य राज्य सरकारों आदि के अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा और कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता और दी गई साख से संबंधित मामलों पर नियंत्रण और सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा।
- (4) प्रत्यायक परिषद् की बैठकों के लिए कोरम ऐसी होगी जो शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

13. अनुसूची, विनियमों, आदि को अद्यतन करना तथा औपचारिक पत्राचार:

- (1) अनुसूची विनियमों आदि में सभी परिवर्तन वेबसाइट या ऐसे किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित किए जाएंगे जो कौशल विश्वविद्यालय की शासी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और जिसे एक आधिकारिक अधिसूचना के रूप में समझा जाएगा।
- (2) इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए सभी संचार, घोषणाओं को आधिकारिक संचार के रूप में समझा जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2022

संख्या-एल०जी०-03/2022-31--लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-19/09/2022 को कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

KAUSHAL VIDYA ENTREPRENEURSHIP, DIGITAL AND SKILL UNIVERSITY ACT, 2022 (Jharkhand Act, 10, 2022)

An Act to establish and incorporate a first of its kind Skill University in the State of Jharkhand for the development and advancement of vocational and professional education, to create highly skilled and employable youth and entrepreneurs, encourage job creation, self-employment, gig-based-engagement and to promote delivery of high quality skill education, Entrepreneurship, start-up incubation, employability, training, counselling, apprenticeship, on-the-job training, and placements in an integrated manner with industry partnership, to promote inclusive growth by facilitating employability and providing self-employment guidance for the youth to enhance their incomes, to support the economically backward communities in terms of providing skill development, employability, entrepreneurship and self-employment opportunities and to provide a job ready workforce to the industry for reducing unemployment and ultimately propelling the economic growth of the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows: -

1. Short title, extent and commencement:

- (1) This Act may be called the Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University Act, 2022.
- (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions: In this Act and in all Schedule of Statutes and Regulations made thereunder, unless the context otherwise requires-

-
- (a) “Associate college/institution” includes a college or an institution established and maintained by government or semi/quasi-government/SPV agencies of the State other than the Skill University, and admitted to the privileges of the Skill University under this Act;
 - (b) “Authorities” means the authorities of the Skill University as specified by or under this Act;
 - (c) “Centre of excellence” means the state-of the art training or research centre established in collaboration with industry or for the benefit of the industry and society, to provide all types of relevant skills to students, in-service employee, working professionals and to undertake joint projects;
 - (d) “Community college” means an institution providing skill based academic programs including as maybe prescribed by the Regulations;
 - (e) “Contribution”, by whatever name it may be called including fees, means monetary collection made by the Skill University or its colleges, institutions, skill centres or study centres, as the case may be including tuition expenses towards training, learning and Information Technology (IT), living infrastructure, utilities set-up, maintenance and any other incidental expenses from the students/sponsors by whatever name it may be called;
 - (f) “Constituent college/institution” means a college or institution established or maintained by the Skill University;
 - (g) “Digital learning” means end-to-end completely online learning, synchronous or asynchronous, with no requirement of physical laboratory or in-person teaching in a physical location. Further it is the mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using internet, e-learning materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology assisted mechanism and resources;
 - (h) “Government” or “State Government” means the Government of Jharkhand;
 - (i) “Notification” means a notification published in the Gazette;
 - (j) “Open and distance education” means education imparted by a combination of more than one means of communication, viz. broadcasting, telecasting, Information Communication Technology (ICT), correspondence courses, online, digital, blended modes, contact programmes and any other such methodology. Further it includes providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the learners to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;
 - (k) “Regulations” means the Regulations of the Skill University made under this Act;
 - (l) “Schedule” means the Schedule of the Skill University made under this Act;
 - (m) “Section” means a section of this Act;
 - (n) “State” means State of Jharkhand;
 - (o) “Student” means a person enrolled in the Skill University for taking a course of study for a degree, diploma or any other academic distinction offered by the Skill University;
 - (p) “Study centre” means a centre established or maintained by the Skill University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of open and distance education;

- (q) “Skill centre or satellite centre or school” means a training centre established by the Skill University to provide vocational and skill training for the benefit of the industry, students and local population;
- (r) “Skill University” means the Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University, Jharkhand;
- (s) “Teachers” means Practitioners-as-faculty, Professor of practice, Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons with appropriate titles as may be appointed for imparting instructions, training or conducting research in the Skill University or in any college or institution;
- (t) “Vocational education” includes competency-building-modules, vocational courses, credits-based-continuum for continuing education or on-the-go learning that is focused on skill-based employability as compared to once-in-a-lifetime degree-based pedagogy for academic qualifications.

3. **Incorporation:**

- (1) There shall be established a Skill University by the name of ‘Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University’.
- (2) The Skill University shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to contract etc., and may by the said name sue or be sued.
- (3) The Skill University shall comprise of the President, the Vice-Chancellor, the Pro-Chancellor, the Registrar, Chief Finance and Accounts Officer, Dean of Credentials, the Governing Council, the Senate, the Vocational Education Council, the Credentials Council and all other persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership.
- (4) The Skill University shall be headquartered at such State-owned campus (or campuses) as specified in Schedule. The Skill University may establish and maintain campuses including polytechnic colleges, Industrial Training Institutes (ITIs), community colleges, skill centres and digital learning study centres at such other places as it may deem fit.
- (5) The Skill University shall at all times follow all applicable laws, regulations of the land.

4. **State Nodal Agency:**

- (1) Prejha Foundation, a Special Purpose Vehicle of Government of Jharkhand as outlined in Clause 6 of gazette notification No.24, dated 27.07.2016, shall be concomitant state nodal agency, in perpetuity, that shall design, set-up, operate and undertake all other acts necessary for achieving the purpose of the Skill University. Hereinafter referred to as the ‘Nodal Agency’.
- (2) The Board of Directors of Prejha Foundation shall have complete delegation of powers from the State Government and shall be the final authority for all matters concerning the Skill University and shall have the power to delegate to any other person or authority of the Skill University such power as it may deem necessary. Any amendment to the Schedule, attached to this Act, whether by adding, deleting or in any other manner, can be done by the Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand, subject to due recommendation based on formal approval from the Board of Directors of the nodal agency.
- (3) Any amendment, except for amendment to Schedule, to this Act can be done solely by the State legislature subject to due recommendation based on formal approval from the Board of Directors of the nodal agency with consensus or at least three-fourth of the majority of all eligible voting members after such a proposal is received from the

Governing Council of the Skill University with at least two-third of all eligible voting members.

- (4) The Nodal agency shall have trademark and copyright of all digital assets including alumni database, website/online domain branding including logo/title (as stipulated in the section 3(1)) of the Skill University and the intellectual property generated from the date of inception of the Skill University shall vest in the nodal agency, notwithstanding any period of limitation.

5. **Pedagogy, Framework and Objectives of Skill University:**

- (1) Pedagogy of Skill University:-

The Skill University, focussing on vocational education, shall be different from the academic university, focussing on higher education, in its establishment, functioning and objectives, as illustrated below:

- (a) Vocational education will be a choice of pursuit for those candidates who are vocationally inclined having a passion for crafts, trades or for entrepreneurship or require employability enablement with minimal opportunity cost of time.
 - (b) Focus on design and delivery of competency-building-modules and vocational courses, etc. for enabling skill-based employability, self-employment and gig-engagement etc. Further culmination of vocational education is in being a maestro of the practical trade as compared to pursuit of academic research and theoretical interests in any discipline of study.
 - (c) Award of credentials through credits-based-continuum including certificates, diplomas, advanced diplomas, etc. would be encouraged for a 'learner-centric' education paradigm as compared to traditional once-in-a-lifetime degree-based pedagogy for academic qualifications. Degrees can be offered where required including as culmination of study, experience and practice.
 - (d) Imparting continuing education or on-the-go learning especially for practitioners to enable 'learn while you earn' with learning delivered in various modes including blended learning modes ranging from on-campus to off-campus, digital, onsite and on-the-job modes to augment the larger narrative of experiential learning, post-industry-experience-entrepreneurship.
 - (e) The Skill University shall have the flexibility for innovative approaches to be fast-paced, industry-aligned, technology embedded, modular in nature, focussed on domain knowledge and competency that involves multiple stakeholders with Industry expertise, market led pedagogy, demand-synced-courseware, learner-centricity with national, international, industry partnerships forming the fulcrum.
 - (f) Based on demand-assessment and skill-gaps, future projections etc. in different sectors of industry, the Skill University shall transform, revise and bring about necessary changes in its governance, curricular, pedagogy, award of credentials including degrees, recognition of prior learning, etc. to meet the demands of market and industry in order to be relevant.
 - (g) The faculty of Skill University shall generally be competent practitioners with work experience or skilled professionals.
- (2) The Skill University shall follow a tiered approach to impart efficient vocational education delivery:-
- (a) Employability focussed courses/modules through credits-based-continuum shall offer skill-based programmes at different levels of certification including in line with International standards or Market requirements or Indian National Skills Qualification Framework or National and State Education Policy. Where an

award of a degree is needed, the same would be granted based on applicable norms and standards including as determined by the Governing Council of the Skill University.

- (b) Continuing education for certificate/diploma holders to graduate to advanced diplomas and award of degree based on 'Practitioner-on-the-go-education' paradigm would also be pursued to enable career progression for various skilled professionals. Where an award of a degree is needed, the same would be granted based on applicable norms and standards for continuing on-the-go education including as determined by the Governing Council of the Skill University.
 - (c) Digital learning shall also be offered where the application of such learning is geared towards domains including of digital economy and where employability avenues are typically in virtual domain.
- (3) The Skill University shall have the following objectives: –
- (a) to emerge as the foremost institution of quality in skill education recognised by industry, nationally and internationally;
 - (b) to provide career-oriented education and skills to students interested in directly entering the workforce or entrepreneurship or launching a start-up;
 - (c) to provide learning, teaching, entrepreneurial training, capability building and skills development covering a wide spectrum of domains and specializations as may be relevant from time to time in the fields of study or trade or industry etc. in which jobs are available or are likely to be created in future, or a start-up can be launched, including the imparting of skills that enhance employability;
 - (d) to develop qualified youth with skill proficiency and competency at different levels including as per prescribed National or State qualifications of skill education;
 - (e) to promote skill education, innovation, entrepreneurship in an integrated and holistic manner to ensure pathways for career progression and upward mobility;
 - (f) to provide opportunities for flexible learning systems and provide a medium for lifelong and continued learning and skill development to enhance employability;
 - (g) to provide entrepreneurial orientation along with required skill training for self-employment and entrepreneurship development;
 - (h) to provide students an opportunity of life long and continuous training through the courses offered through conventional or blended or distance or open or online education and other education delivery models suitable for different pedagogical approaches and systems by the Skill University;
 - (i) to frame a choice-based credit system for competency-based skill and vocational education;
 - (j) to provide a teaching learning pedagogy focused on hands-on training, professional and skill-based training in line with market and industry needs;
 - (k) to exchange expertise and best practices in support of skill development efforts in collaboration with any other college, institution, university, organization or body etc.;

-
- (l) to establish innovative approaches for creation of seamlessness in academic structures, learning time-frames, and working and continuous evaluation processes for nurturing and cultivation of creativity and enabling entrepreneurship;
 - (m) to reach the unreached by using latest Information Communication Technology to deliver education, training and teaching resources to learners;
 - (n) to undertake programmes for the training and development of the human resources such as the teachers of the Skill University and other skill imparting institutions;
 - (o) to start skills development programmes, soft skills, courses in new and emerging areas with innovative approaches;
 - (p) to provide a teaching learning pedagogy which combines multiple forms of education and learning pedagogy and course delivery (blended or distance or open or online or skill or other) and thus provide a 'Virtual Campus' where students will come together with experienced faculty and industry members to develop and evolve;
 - (q) to provide consultancy to government and semi-government agencies, public and private industries;
 - (r) to prepare and design courses of study and training modules and conduct skill gap analysis in consultation and in partnership with industry with the objective of determination of the skilled manpower needs or requirements of the market and industry;
 - (s) to create an Industry Academia partnership by inviting industry and institutions for mutual benefits;
 - (t) to ensure that the standard of degree, diploma, certificates and other academic distinctions are fit-for-purpose with respect to the needs of market and industry for employment and entrepreneurship, innovation and launch of start-ups;
 - (u) to disseminate skills knowledge through seminars, conferences, executive education programmes, community development programmes, publications and training programmes;
 - (v) to collaborate with business, industry, and institutions, universities, laboratories or agencies or organizations of repute from within the State or from other States or Union Territories of India or foreign countries, to offer joint programmes or courses or research or for exchange of faculty and students, or for sharing information and best practices, and to give or receive equipment or resources or grants or consultancy for the benefit of students;
 - (w) to provide students with technical, vocational and skill-based education and training by offering Certificate, Diploma, Bachelor's, Master's and Doctoral programs in high growth sectors and offer various specializations to prepare the students for gainful employability and vertical mobility;
 - (x) to create entrepreneurs by providing necessary skill and support systems;

-
- (y) to pursue action research including through tinkering laboratories for enabling adaptive learning, innovation through hands-on methodology in products, services, platforms, and technologies; and
 - (z) to pursue any other objective as may be necessary to further the objectives of the Skill University.
- 6. Territorial exercise of powers:** (1) The Skill University shall, in the exercise of its powers under this Act, have territorial jurisdiction over the whole of Jharkhand:
- (a) Provided that the territorial jurisdiction shall extend to the whole of State of Jharkhand in a non-exclusive manner including in matters pertaining to institutions imparting teaching or academic distinctions with a focus on vocational, skill-based education, entrepreneurship and development.
 - (b) Provided that on matters of imparting digital learning, there shall be no limit to the physical geographic jurisdiction of the Skill University in the exercise of its powers under this Act.
- 7. Bar on conferring, granting or issuing degrees, diplomas or certificates on behalf of the Skill University by unauthorized institutions:** No unaffiliated or unrecognised or unassociated college or institution or University, on behalf of the Skill University, shall confer, grant or issue any degree, diploma or certificate which is identical with or is a colourable imitation of any degree, diploma or certificate conferred, granted or issued by the Skill university.
- 8. Powers and functions of the Skill University:** The Skill University shall exercise the following powers and perform the following functions: -
- (1) to provide facilities and promote training, study and research in emerging areas of skill, vocational education, entrepreneurship including in new frontiers of digital economy and in various sectors as outlined in national skills qualification framework;
 - (2) to conduct research in labour market requirements in order to understand emerging trends;
 - (3) to undertake collaborative research and advocacy with any organization in India or overseas for promoting innovative models of education, research, training and skill development including employability and entrepreneurship;
 - (4) to establish and recognise as constituent/associate institutions of skill education, in such manner and in accordance with such parameters, standards as may be specified by the Skill University;
 - (5) to make provisions and adopt all measures (including adoption and updating of the curricula) in respect of study, teaching and research, relating to the courses through traditional as well as new innovative modes including digital education mode;
 - (6) to take special measures for spreading educational facilities among the educationally backward strata of the society;
 - (7) to institute choice-based credit system in-line with skill development pedagogy;
 - (8) to provide students the facility of multi-entry-exit with or without trade/competency tests, with or without experience pre-requisites and credit accumulation, banking and transfer at all levels;

-
- (9) to institute scheme for multi-entry and multi exit, recognition of prior learning, credit banking and transfer, credit waiver, vertical and lateral mobility and any other such scheme which promotes skill development at large;
 - (10) to develop credit framework including in international standards, accordance with the National Occupational Standards as specified by the National Skill Qualification Framework;
 - (11) to develop curriculum packages of skill at different levels, as may be defined by the Skill university or by international standards or the National Skill Qualification Framework;
 - (12) to define norms and parameters of skill education, teaching and instruction, consistent with the credit framework and curriculum packages to make them employability oriented, as the Skill university may deem fit;
 - (13) to confer certificates, diplomas, advanced diplomas, degrees, bachelor's, master's, doctoral and other distinctions; Further to offer these distinctions/ credentials for recognition of prior learning/competency/experience with or without academic pre-qualifications, honorary distinctions as per norms laid down by Credentials Council;
 - (14) to enable the student to seek employment on their own accord after any level of award and join back as and when feasible to upgrade qualifications or skill competencies to move higher in the job profile through the multiple entry and exit;
 - (15) to offer, modify or discontinue programmes or courses in domain areas as per demand in the job market;
 - (16) to decide, in consultation with the industry partner(s), industry associations, Sector Skills Councils, etc, specific job role(s) to be embedded in curriculum;
 - (17) to have MoUs with relevant Industry Partner(s) in order to facilitate on-site skill training of the students;
 - (18) to provide education, training and skill development opportunities to the informal sector and unorganized workforce in order to build productivity;
 - (19) to encourage industrial and industrial associations participation through establishment of innovation labs, in-service training centres, workshops and active participation in all aspects of governance, curricula design, skill training, placements, internships, consultancy, joint projects, etc.;
 - (20) to establish campuses, regional centres, skill centres, community colleges, study centres, information centres, test or examination centres, centres of excellence, etc., at various locations in and outside the State and country to facilitate delivery, student services and dissemination of education, consultancy, information and skill training;
 - (21) to promote a spirit of entrepreneurship in skills amongst youth;
 - (22) to promote career guidance and counselling among the youth;
 - (23) to define norms of examination or any other measure of assessment of knowledge and competency of a student for admission to the Skill University;
 - (24) to hold examinations or other assessments of knowledge or competency, or accredit the examination or other assessment system of institution, as the Skill university may, from time to time determine;

-
- (25) to collaborate with industries, companies, national and international partners (as skill knowledge providers) for the purposes of practical training of students in skill and entrepreneurship and to define norms for recognition of competency attained by a student in such practical training in industry or training centre for the purpose of earning credits;
 - (26) to lay down norms for transfer of credits to promote new learning opportunities without compromising on learning outcomes;
 - (27) to appoint persons possessing significant professional experience, knowledge and competency, as adjunct, guest or visiting faculty of the Skill University, on such terms and for such duration, as the Skill University may decide;
 - (28) to lay down parameters for assessment and accreditation of skill educators and training providers in accordance with the norms specified under the National Skill Qualification Framework, or such other norms, as may be determined by the Skill University;
 - (29) to determine, specify, fix, demand and receive contribution including payment of fees and other charges, from students, institution, industry or body corporate for instructions and other services, including training, consultancy and advisory services, provided by the Skill University, as the Skill University may deem fit;
 - (30) to receive gifts, grants, donations or benefactions from the Central Government and the State Government and to receive bequests, donations and transfer of movable or immovable properties from testators, donors or transferors, as the case may be;
 - (31) to establish its own school(s) to provide skill education, for identification and recognition of prior learning of skill;
 - (32) to establish and maintain such infrastructure including campuses and training centres within its territorial jurisdiction;
 - (33) to institute and award fellowship, scholarships, exhibitions, prizes and medals;
 - (34) to collaborate with any other Indian or foreign university or institution in offering joint diploma/degree/exchange programmes for reaching global standards of skill attainment;
 - (35) to mutually transfer credits with the institution of exchange in case of exchange students including of foreign candidates;
 - (36) to promote national and international collaboration with institutions of skill education for the purpose of developing competency, knowledge and ability to global standards;
 - (37) to establish its own production house, incubation centre, retail house or service centre or any other centre which shall provide practical training to enhance skill and entrepreneurial level of youth;
 - (38) to create posts and prescribe the terms and conditions of appointment of competent practitioners with work experience or skilled professionals with or without academic pre-qualifications including that of faculty, Asst/Associate/professors/Professors of practice, Deans, Directors, Principals, teachers, teaching /non-teaching skilled, administrative, ustads, demonstrators, tutors and ministerial staff and such other posts, as required by the Skill University or as maybe prescribed by the Regulations;
 - (39) to establish, maintain and manage, such establishments, initiatives whenever necessary including-
 - (a) Knowledge Resource Centre;

-
- (b) Skill University extension boards;
 - (c) Information bureaus;
 - (d) Employability guidance bureaus;
 - (e) Autonomous Evaluation Boards;
- (40) to take up such measures for welfare, holistic development of students including to promote patriotism, self-discipline, peer respect, sustainable living, spirit of service along with prevention of obstacles to such development such as ragging, harassment, discrimination or exclusion, physical or mental or emotional violence;
- (41) to invest the funds of the Skill University or money entrusted to the Skill University in only approved financial instruments and in such manner as it may deem fit and from time to time dispose any investment;
- (42) to delegate all or any of its powers to the Pro-Chancellor of the Skill University or any committee or any sub- committee or to anyone or more members of its body or its officers;
- (43) to make provisions in relation to residence of the students, to provide for a situation wherein the Skill University would like to open residential facilities;
- (44) to make such Schedule and Regulations as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and management of the Skill University and to alter, modify and rescind them;
- (45) Subject to the provisions of this Act, to do all such things as may be necessary to achieve the objectives of the Skill University.
- 9. Constituent/ Associate Skill and vocational education institutions:** The Skill University may as and when it may deem fit and proper, establish, recognise, manage State-owned campuses, constituent colleges, associate colleges and schools of specialised learning, polytechnic colleges, Industrial Training Institutes (ITIs), vocational education institutions, centres for skill development, training, extension, research and outreach including continuing education, distance learning and e-learning. In case degrees are to be given, such centres or colleges would be established or associated as per applicable norms and standards including as determined by the Governing Council.
- 10. Skill university open to all races, classes, castes and creeds and to be inclusive in its pedagogy through courses amenable to the poorer strata of the society in the service of public:**
- (1) The Skill University shall be open to all persons irrespective of gender , race, creed, caste or class and no test or condition shall be imposed as to religion, belief or profession in admitting or appointing members, students, teachers, workers, or in any other connection with the affairs of the Skill University and no benefactions shall be accepted the direct and inevitable effect of which, in the opinion of the authorities of the Skill University, is to impose conditions or obligations on the Skill University which is in derogation of its aforesaid power.
 - (2) The Skill University shall include courses amenable to meritorious but poorer sections of the youth, designed to enable employability or entrepreneurship.
- 11. Teaching of Skill University:** All teaching in the Skill University shall be conducted by and in the name of the Skill University in accordance with the Schedule and Regulations made in this behalf.
- 12. The Chancellor:**
- (1) The Governor of Jharkhand will be the Chancellor of the Skill University.

- (2) The Chancellor shall, when present, preside over the convocation of the Skill University for conferring certificates, diplomas, degrees and other academic distinctions.
- (3) The Chancellor shall have the power to call for report of any matter pertaining to the affairs of the Skill University.

13. **Officers of Skill University:**

- (1) The following shall be officers of the Skill University, namely: -
 - (a) the President;
The President shall be the head of the Skill University, and shall be the Chairperson of the Governing Council.
 - (b) the Vice-Chancellor;
The Vice-Chancellor shall have ascendance over the academic affairs, on matters where award of bachelor's/master's/doctoral degree is concerned.
 - (c) the Pro-Chancellor;
The Pro-Chancellor shall be the principal executive officer of the Skill University.
 - (d) the Registrar;
 - (e) the Chief Finance and Accounts Officer;
 - (f) the Dean of Credentials; and
 - (g) such other persons in the service of the Skill University or regulatorily defined posts, as may be declared to be officers of the Skill University.
- (2) The Governing Council, through the President, may be deemed as the competent authority to make provisions regarding, subject to section 17, the appointment, powers and functions of the officers of the Skill University, as prescribed by the Schedule.

14. **Authorities of the Skill University:**

- (1) The following shall be the authorities of the Skill University, namely: -
 - (a) the Governing Council;
The Governing Council shall be the supreme body of the Skill University.
 - (b) the Senate;
The Senate shall be the Chief Executive body of the Skill University.
 - (c) the Vocational Education Council;
The Vocational Education Council shall be the principal vocational education delivery body of the Skill University.
 - (d) the Credentials Council;
 - (e) such other authority as may be declared by the Schedule to be an authority of the Skill University.
- (2) Subject to provisions set out in section 17, the constitution, powers and functions of the authorities of the Skill University shall be as prescribed by the Schedule.

15. **Disqualifications:** A person shall be disqualified from being a member of any of the authorities or bodies of the Skill University, if he-

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

-
- (b) has been convicted of an offence which involves moral turpitude; or
 - (c) engages during the term of his office in private coaching with pecuniary gain; or
 - (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or
 - (e) has been inflicted with any penalty for indulging in or promoting any unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.
- 16. Committees:** The authorities of the Skill University may constitute such committee with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committee. The constitution of, and powers to be exercised and duties to be performed by, such committee, shall be such as may be prescribed by the Schedule or Regulations.
- 17. Schedule:**
- (1) All changes to the Schedule shall be published in the website or any such other medium as determined by the Governing Council of the Skill University and will be deemed as an official notification.
 - (2) For amendment to Schedule, attached to this Act, can be done by the Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand, subject to due recommendation based on formal approval from the Board of Directors of the nodal agency.
 - (3) The Governing Council of the Skill University may make or amend Schedule (except for Schedule attached to this Act), after due approval from the Board of Directors of the nodal agency, on the following:
 - (a) Administration and management of the Skill University; and
 - (b) Providing for all matters (except for amendment to Schedule, attached to this Act) which by this Act are to be prescribed by the Schedule.
- 18. Admissions and student matters:**
- (1) Admission in the Skill University including with multiple intake cycles per year, multi-entry-multi-exit shall be made on the basis of the admission policy duly approved by the Governing Council.
 - (2) Student matters related to maintenance of discipline, attendance, prevention of ragging, etc. shall be such as maybe prescribed by the Regulations.
- 19. Convocation:** The Convocations of the Skill University may, for conferring degree, diplomas or for any other purpose, be held in every academic year.
- 20. Collaborations of Skill University:** The Skill University shall forge national and international collaborations including for joint certifications/diploma/degree and for setting up, managing or developing Education Technology platforms as may be determined by the Skill University as per the contemporariness and requirements.
- 21. Annual Report:** The annual report of the Skill University shall be prepared by the Senate which shall include among other matters, the steps taken by the Skill University towards the fulfilment of its objectives and shall be approved by the Governing Council and a copy of the same shall be submitted to the Nodal Agency.
- 22. Funds and Accounts:**
- (1) The Skill University shall have a General Fund to which shall be credited-
 - (a) contribution to its income from fees, grants, donations and gifts, if any;
 - (b) any contribution or grant made by any corporation or agency owned or controlled by the State or Central Government or any other corporation or multilateral agency or philanthropic organization or any other body or trust;

-
- (c) endowments and other receipts;
 - (d) any income received from consultancy and other works undertaken by the Skill University; and
 - (e) any other financial aid or grant or any other sums received by the Skill University.
- (2) The Skill University may have such other funds as may be prescribed by the Schedule and Regulations.
 - (3) The funds and all monies of the Skill University shall be managed in such a manner, as per the policies of the Skill University duly approved by the Governing Council.
 - (4) The State Government may provide grant-in-aid, grant-in-kind including to facilitate, capital investment in various campuses, operational expenditure to promote skill courses, studies and research.

23. Annual Accounts:

- (1) The annual accounts including balance sheet of the Skill University shall be prepared under the directions of the Senate and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the Governing Council of the Skill University for this purpose.
- (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Council.
- (3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations of the Governing Council shall be submitted to the Nodal Agency.

24. Meritocracy as sole basis for appointment and service continuation of all personnel of Skill University: All personnel appointments, by whatever name and designation they are called, of the Skill University, shall be solely based on merit, with promotions and continuation in service, based on performance or requirement.

25. Vacancy not to invalidate proceedings: No act done, or proceeding taken, under this Act by any authority or other body of the Skill University shall be invalid merely on the ground of any-

- (a) vacancy or defect in the constitution of the authority or body; or
- (b) defect or irregularity in election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or
- (c) defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the merits of the case.

26. Protection of action taken in good faith: No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or personnel of the Skill University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act.

SCHEDULE

Statutes

1. **State Public University:** The Skill University shall act in public benefit as the State Public University, actualised through delegation of powers to state nodal agency for complete autonomy and financial independence, in its commitment to service of the public.
2. **Incorporation:** The Skill University shall be headquartered in Khunti, Jharkhand.
3. **Appointment, Powers and Functions of the President:**
 - (1) Appointment of the President:-
 - (a) The President shall be appointed by the Nodal Agency for a term of three years on the recommendation of a selection committee.
 - (b) Three months prior to the expiry of the term of office of the President, the Nodal Agency shall constitute a Selection Committee consisting of following members, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Nodal Agency shall appoint the President:
 - (i) two nominees of the Nodal Agency; and
 - (ii) one nominee of the Governing Council
 - (c) The President of the Skill University shall ideally be a leader in his industry, preferably an alumnus of an institute of eminence or similarly bench-marked institution including with an industry/entrepreneurial background.
 - (d) After the completion of his tenure of three years, he shall be eligible for reappointment by the Nodal Agency, limited to number of terms as decided by the nodal agency.
 - (e) This shall be an honorary position and all the reasonable expenses incurred by the President in connection with the affairs of the Skill University shall be reimbursed and paid out of the General Fund of the Skill University.
 - (f) The first president shall be appointed by the Nodal Agency.
 - (g) On a representation made to it or otherwise and after making such enquiry as may be necessary, if the Nodal Agency is of the opinion that the continuance of the President in office may not be in the interest of the Skill University, the Nodal Agency, by an order in writing stating the reasons therein, may direct the President to relinquish his office from the date specified in the order:

Provided that prior to the issuance of any such order, the President shall be given an opportunity of being heard.
 - (h) The President may, by an instrument in writing under his hand and addressed to the Chairperson of the Nodal Agency, resign his office:

Provided that the President shall continue in office till the date of acceptance of his resignation by the Nodal Agency.
 - (i) In the event of the abrupt occurrence of vacancy in the office of the President by reason of death, conviction or otherwise, the Vice-Chancellor shall act as President until a regular appointment of President is made in accordance with sub-sections (a) and (b):

Provided that the period of such interim arrangement shall not exceed six months.

(2) Powers and Functions of the President:-

- (a) The President shall be the head of the Skill University, and shall be the Chairperson of the Governing Council.
- (b) The President shall preside over the meetings of the Governing Council and, when the Chancellor is not present, at the convocation of the Skill University for conferring of diplomas, degrees or other academic distinctions:

Provided that in the absence of the President, such functions shall be carried out by any other member of the Governing Council nominated by it:

Provided that, in case of a tie in regard to any of the decisions taken by the Governing Council, the President shall have a casting vote.

- (c) In case of any disputes or differences of opinion, the decision of the President shall be final and binding on all concerned.
- (d) The President shall have the power to call for any information or record from any officer or authority of the University, relating to the affairs of the Skill University.

4. Appointment, Powers and Functions of the Vice-Chancellor:

(1) Appointment of the Vice-Chancellor:-

- (a) The Vice-Chancellor shall be appointed by the President with the approval of Nodal Agency for a term of three years on the recommendation of a selection committee.
- (b) Three months prior to the expiry of term of the Vice-Chancellor, the Nodal Agency shall constitute a Selection Committee consisting of following members, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Nodal Agency shall appoint the Vice-Chancellor:
 - (i) one nominee of the Nodal Agency who will also act as the Chairperson of the Committee;
 - (ii) one nominee of the President; and
 - (iii) one nominee of the Governing Council
- (c) The Vice-Chancellor shall be a person of eminence having rich administrative and academic experience possibly with past/present board membership(s) in industry. Suitable person who has been faculty of Indian Institutes of Technology or similar eminent institutions may be considered.
- (d) After the completion of his tenure of three years as the Vice-Chancellor, he may be considered to be eligible for reappointment, limited to number of terms as decided by the nodal agency.
- (e) The first Vice-Chancellor shall be appointed by the Nodal Agency.
- (f) On a representation made to it or otherwise and after making such enquiry as may be necessary, if the Nodal Agency is of the opinion that the continuance of the Vice-Chancellor in office may not be in the interest of the Skill University,

the Nodal Agency, by an order in writing stating the reasons therein, may direct the Vice-Chancellor to relinquish his office from the date specified in the order:

Provided that prior to the taking of any action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

- (g) The Vice-Chancellor may, by an instrument in writing under his hand and addressed to the Chairperson of the Nodal Agency, resign his office:

Provided that the Vice-Chancellor shall continue in office till the date of acceptance of his resignation by the Nodal Agency.

- (h) In the event of the abrupt occurrence of vacancy in the office of the Vice-Chancellor by reason of death, conviction or otherwise, the nodal agency may appoint any other suitable officer of the Skill University to act as Vice-Chancellor until a regular appointment of Vice-Chancellor is made in accordance with sub-sections (a) and (b):

Provided that the period of such interim arrangement shall not exceed six months.

- (2) Powers and Functions of the Vice-Chancellor :- The Vice-Chancellor shall have ascendancy over the academic affairs, on matters where award of bachelor's/master's/doctoral degree is concerned, of the Skill University-

- (a) to advise the Governing Council, particularly in respect of the norms and standards of education, teaching and research, and training programmes in the Skill University and ensure compliance of the same;
- (b) to coordinate with Deans / Heads concerned with the introduction of programmes and courses in academic, training and consultancy domains and for teaching, research and development in the Skill University;
- (c) to ensure adherence to quality, norms and standards pertaining to the programmes and courses of study offered or to be offered, involving with undergraduate and postgraduate education, by the Skill University;
- (d) to delegate his powers subject to the approval of the President;
- (e) to exercise such other powers and perform such duties as may be specified in the Schedule and Regulations of the Skill University.

5. Appointment, Powers and Functions of the Pro-Chancellor:

- (1) Appointment of the Pro-Chancellor:-

- (a) The Pro-Chancellor shall be appointed by the President with approval of the Nodal Agency for a term of three years on the recommendation of a selection committee:

Provided that the first Pro-Chancellor shall be appointed by the Nodal Agency.

- (b) Three months prior to the expiry of term of the Pro-Chancellor, the Nodal Agency shall constitute a Selection Committee consisting of following members, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Nodal Agency shall appoint the Pro-Chancellor:

- (i) one nominee of the Nodal Agency who will also act as the Chairperson of the Committee;

-
- (ii) one nominee of the President; and
 - (iii) one nominee of the Governing Council
 - (c) The eligibility criteria with regard to the educational qualifications (academic/ research/ skill specialization, etc.) and industry experience for selection of the Pro-Chancellor shall be as prescribed by the Schedule and Regulations.
 - (d) After the completion of his tenure of three years as the Pro-Chancellor, he may be considered to be eligible for reappointment, limited to number of terms as decided by the nodal agency.
 - (e) The Pro-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the Skill University or be deputed from the nodal agency.
 - (f) On a representation made to it or otherwise and after making such enquiry as may be necessary, if the Nodal Agency is of the opinion that the continuance of the Pro-Chancellor in office may not be in the interest of the Skill University, the Nodal Agency, by an order in writing stating the reasons therein, may direct the Pro-Chancellor to relinquish his office from the date specified in the order:

Provided that prior to the taking of any action under this sub-section, the Pro-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.
 - (g) The Pro-Chancellor may, by an instrument in writing under his hand and addressed to the Chairperson of the Nodal Agency, resign his office:

Provided that the Pro-Chancellor shall continue in office till the date of acceptance of his resignation by the Nodal Agency.
 - (h) In the event of the abrupt occurrence of vacancy in the office of the Pro-Chancellor by reason of death, conviction or otherwise, the nodal agency may appoint any other suitable officer of the Skill University to act as Pro-Chancellor until a regular appointment of Pro-Chancellor is made in accordance with sub-sections (a) and (b):

Provided that the period of such interim arrangement shall not exceed six months.
 - (2) Powers and Functions of the Pro-Chancellor:-
 - (a) The Pro-Chancellor shall be the principal executive officer of the Skill University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the Skill University.
 - (b) On matters regarding the academic affairs of the Skill University, where award of bachelor's/master's/doctoral degree is concerned, the Pro-Chancellor shall seek guidance from the Vice-Chancellor.
 - (c) The Pro-Chancellor shall execute the decisions of various authorities of the Skill University and take all action as may be necessary to execute for discharge of the duties and responsibilities that may be assigned to him by the President and the authorities of the Skill University.
 - (d) Where, in the opinion of the Pro-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary, and, shall at

the earliest opportunity thereafter, report the action taken by him to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if, in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Pro-Chancellor, then such case shall be referred to the President, whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the Pro-Chancellor adversely affects the rights of any personnel of the Skill University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Council, and, the Governing Council may confirm or modify or reverse the action taken by the Pro-Chancellor.

- (e) Where, in the opinion of the Pro-Chancellor, any decision taken by any authority of the Skill University is not within the powers conferred on such authority by the Act, or is likely to be prejudicial to the interests of the Skill University, he shall forthwith request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of its decision, and, in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred by the Pro-Chancellor to the President and his decision thereon shall be final.
- (f) The Pro-Chancellor shall be the Chairperson of the Vocational Education Council and shall have a casting vote in case of a tie in regard to any of the decisions taken by the Vocational Education Council.
- (g) The Pro-Chancellor shall ensure compliance with the provisions of the Act, Schedule and Regulations of the Skill University.
- (h) The Pro-Chancellor shall be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority of the Skill University, but shall not be entitled to vote unless he is a member of that particular authority.
- (i) In all suits and other legal proceedings by or against the Skill University, the pleadings shall be signed and verified by the Pro-Chancellor and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, the Pro-Chancellor.
- (j) The Pro-Chancellor shall have the power-
 - (i) to advise the Governing Council on matters regarding the planning and development of the Skill University, particularly in respect of the norms and standards of education, teaching and research, and training programmes in the Skill University and ensure compliance of the same;
 - (ii) to coordinate with Deans / Heads concerned with the introduction of programmes and courses in academic, training and consultancy domains and for teaching, research and development in the Skill University;
 - (iii) to provide pedagogical leadership and motivation for excellence;
 - (iv) to coordinate with Deans / Heads for collaboration with any university, Research Institute, Centre in India and abroad from time to time with prior approval of the Governing Council;

-
- (v) to apply for membership of other institutions like Association of Indian Universities, Commonwealth Universities, International Universities, and India International Centre, etc.;
 - (vi) to ensure adherence to quality, norms and standards pertaining to the programmes and courses of study offered or to be offered by the Skill University;
 - (vii) to take necessary steps to obtain accreditation, etc.;
 - (viii) to convene or cause to be convened meetings of any segment or authority of the Skill University except the Governing Council and the Senate;
 - (ix) To make regular appointments with the prior approval of the Senate, as maybe prescribed by the Regulations-
 - a) for all posts of teaching staff; and
 - b) for posts of officers among the administrative staff and technical support staff;
 - (x) to make provision for the offer of scholarships, fellowships, studentships, medals and awards with the prior approval of the Senate;
 - (xi) to appoint course writers, script writers, counsellors, programmers, artists, consultants and such other persons as maybe considered necessary for the efficient functioning of the Skill University;
 - (xii) to fix emoluments and other terms and conditions of service of the teaching staff, administrative staff and technical support staff with the approval of the Senate, as maybe prescribed by the Regulations;
 - (xiii) to make temporary appointments, with the approval of the Senate of such persons as he may consider necessary for the functioning of the Skill University, as maybe prescribed by the Regulations:

Provided that, in case of any exigency, the Pro-Chancellor may appoint such staff for a period not exceeding six months, and such appointments shall be reported to the Senate in its next meeting.
 - (xiv) to grant leave to-
 - a) Teaching staff; and
 - b) Officers among the administrative staff and technical support staff, and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such personnel during their absence;
 - (xv) to grant leave of absence to any personnel of the Skill University in accordance with the Regulations and if he so desires, delegate such powers to any other officer of the Skill University;
 - (xvi) to make necessary arrangements for the discharge of the functions of an officer whose position falls vacant due to resignation, retirement or any other reason till such time as regular appointment to such position is made;

- (xvii) to ensure proper maintenance of discipline in the Skill University and to delegate any such power to such officer or officers as he may deem fit;
- (xviii) to suspend and to initiate disciplinary action against any student or personnel of the Skill University as per the Regulations;
- (xix) to delegate his powers subject to the approval of the President;
- (xx) to perform all such acts as may be deemed necessary for furtherance of duties and objectives of the Skill University.

6. **Appointment, Powers and Functions of the Registrar:**

(1) Appointment of the Registrar:-

- (a) The first Registrar shall be appointed by the Nodal Agency. After completion of the term of the first Registrar, the President shall appoint the next Registrars with the approval of the Nodal Agency on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose, as specified by the Governing Council.
- (b) He shall report to the Pro-Chancellor.
- (c) He shall be a whole-time salaried officer of the Skill University or be deputed from nodal agency.
- (d) He shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for reappointment, limited to number of terms as decided by the nodal agency.
- (e) On a representation made to him or otherwise and after making such inquiry as may be necessary, if the Pro-Chancellor is of the opinion that the continuance of the Registrar in office will not be in the interests of the Skill University, he may by an order in writing stating the reasons therein, direct the Registrar to relinquish his office from the date specified in the order:

Provided that prior to taking any action under this sub-section, the Pro-Chancellor shall ensure that it gets the approval of the Nodal Agency after giving to the Registrar reasonable opportunity of a hearing.

- (f) The Registrar may, by an instrument in writing under his hand and addressed to the Pro-Chancellor, may resign his office:

Provided that the Registrar shall continue in office till the date of acceptance of his resignation by the Nodal Agency.

- (g) In the event of the abrupt occurrence of vacancy in the office of the Registrar by reason of death, conviction or otherwise, the Pro-Chancellor may appoint any other suitable officer or personnel of the Skill University to act as Registrar until a regular appointment of Registrar is made in accordance with sub-section (a):

Provided that the period of such interim arrangement shall not exceed six months.

(2) Powers and Functions of the Registrar:-

- (a) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Council, Senate, Vocational Education Council and Credentials Council but he shall not have a right to vote;
- (b) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the Skill University;

-
- (c) The Registrar shall exercise and perform the following powers and functions-
- (i) to function as the custodian of the records, minutes of the meetings of the authorities of the Skill University, the common seal and all properties of the Skill University;
 - (ii) to place before the President, Vice-Chancellor, Pro-Chancellor or any authority of the Skill university, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business;
 - (iii) to conduct official correspondence on behalf of the Skill University and be responsible for the proper maintenance of all the records of the Skill University, subject to the provisions of the Act, the Schedule and the Regulations;
 - (iv) to issue notices concerning all meetings of the Governing Council, Senate, Vocational Education Council, and any other committee or body constituted as per instructions of the President or Pro-Chancellor;
 - (v) to represent the Skill University in suits or proceedings by or against the Skill University, sign powers of attorney and plead in such cases or depute his representative for this purpose;
 - (vi) to maintain a register of all students registered in any course or programme offered by the Skill University in the prescribed form;
 - (vii) to maintain a register of all certificates, diplomas, degrees or any academic distinction conferred on any person by the Skill University;
 - (viii) to suspend and to initiate disciplinary control over the personnel, of the Skill University, as per powers delegated by the Pro-Chancellor;
 - (ix) to render to the Pro-Chancellor and the President such assistance as may be desired by them in the performance of their official duties;
 - (x) to appoint persons to the posts below the level of officers among the technical support staff and administrative staff, as maybe prescribed by the Regulations;
 - (xi) to maintain the service records of all the personnel of the Skill University;
 - (xii) to perform such other duties as may be specified by the Governing Council or the Senate or the President or the Vice-Chancellor or the Pro-Chancellor from time to time;
 - (xiii) to exercise such powers and perform such duties as may be specified in the Schedule and Regulations of the Skill University.

7. Appointment, Powers and Functions of the Chief Finance and Accounts Officer:

- (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the President, in such manner as specified by the Governing Council, as maybe prescribed by the Schedule and Regulations.
- (2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the Governing Council.

8. Appointment, Powers and Functions of the Dean of Credentials:

- (1) The appointment of the Dean of Credentials shall be made by the President, in such manner as specified by the Governing Council, as maybe prescribed by the Schedule and Regulations.
- (2) The Dean of Credentials shall exercise such powers and perform such duties including with respect to all aspects of credentials such as laying down of the norms and standards, mode of assessments and certifications etc. as may be specified by the Governing Council.

9. Governing Council:

- (1) Constitution of the Governing Council:-
 - (a) The Governing Council of the Skill University shall consist of the following members as part of its initial constitution, namely:-
 - (i) The President;
 - (ii) The Vice-Chancellor;
 - (iii) The Pro-Chancellor;
 - (iv) Two representatives of the Nodal Agency;
 - (v) One eminent alumni or faculty of an Indian Institute of Technology or similarly benchmarked institution based out of Jharkhand nominated by Nodal Agency;
 - (vi) Two officials from Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;
 - (vii) Up to three eminent industrialists to be nominated by the President on the recommendation from industry bodies or sectors of focus;
 - (viii) One senior faculty member from the skill university; and
 - (ix) the Registrar of the Skill University.
 - (b) The President shall be the Chairperson of the Governing Council, and in his absence, a member of the Governing Council nominated by it shall chair its meeting.
 - (c) Save as otherwise provided in this section, the term of nominated members of the Governing Council shall be three years from the date of nomination.
 - (d) An ex officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is such member.
 - (e) One-third of the nominated members, except ex officio members, shall retire by rotation each year. In the first two instances, the Governing Council may decide the procedure to identify the members who will retire.
 - (f) A member may be re-nominated for the next succeeding term.
 - (g) A member may resign his office by an instrument in writing under his hand and addressed to the Chairperson, but he shall continue in office until the date of acceptance of his resignation by the Chairperson.

-
- (h) A casual vacancy, arising out of the coming to an end of the membership of any member (other than an ex officio member) during the term of office of such member for any reason whatsoever, shall be filled up in the manner provided for the constitution of the Governing Council in sub-section (a):
 Provided that a person nominated to a casual vacancy shall be a member for the residual term of office of such member resultant to the termination of whose membership the casual vacancy has arisen.
- (i) The Governing Council shall meet at least two times in a calendar year, as possible.
- (j) A minimum of four members present shall form a quorum for a meeting of the Governing Council with the President being the Chairman of the meeting:
 Provided that, in case of leave of absence of the President, the attending members may choose a chairperson for the meeting:
 Provided further that the members may participate in the meeting person or through teleconferencing or video conferencing or any other form of participation through any other mode of Information and Communication Technologies.
- (k) The decisions of the Governing Council shall be taken through consensus:
 Provided that in cases in which decisions of the Governing Council cannot be taken through consensus, the decision shall be taken through a majority vote, including through electronic voting technology, by a quorum of not less than four members of Governing Council participating in the meeting of the Governing Council.
- (2) Powers and Functions of the Governing Council:-
- (a) Subject to the provisions of this Act, the Governing Council may be delegated such powers by the Board of Directors of the Nodal Agency as is necessary for the conduct of the affairs and business of the Skill University.
- (b) All property of the Skill University shall vest in the Governing Council, with prior approval of competent authorities.
- (c) Subject to the provisions of this Act, the Governing Council shall exercise the following powers and discharge the following functions, namely:-
- (i) to exercise general superintendence and control over all personnel, authorities, committees and bodies of the Skill University;
 - (ii) to review the decisions by any authority of the Skill University in the cases where the decisions taken by any authority of the Skill University is not in conformity with the power under the provisions of the Act or the Schedule or the Regulations made thereunder;
 - (iii) to approve the budget and annual report of the Skill University;
 - (iv) to lay down the policies to be followed and implemented by the Skill University;
 - (v) to create or abolish posts as may be deemed necessary for the functioning of the Skill University;
 - (vi) to appoint statutory auditors of the Skill University;
 - (vii) to delegate such powers as it may deem fit to the Senate and other authorities or officers of the Skill University;
 - (viii) to take all such actions as may be necessary to achieve the objectives of the Skill University;

-
- (ix) to make provision for appointment of practitioners-as-faculty, Professors of practice, Emeritus Professors, Visiting Professors, Visiting Fellows, Adjunct Professors, etc., as required by the Skill University on the recommendations of the Senate;
 - (x) to administer and manage the Skill University and such centres for research, education and instruction as are necessary for furtherance of the objects of the Skill University;
 - (xi) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the Skill University;
 - (xii) to draw and accept, to make and endorse, to discount or negotiate promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
 - (xiii) to execute conveyances, transfers, reconveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, including government securities belonging to the Skill University or to be acquired for the purpose of the Skill University, with prior approval of competent authorities;
 - (xiv) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the Skill University;
 - (xv) to enter into any agreement with the central government, state governments, University Grants Commission or other authorities for receiving grants;
 - (xvi) to accept grants of money, securities or property of any kind on such terms as may be deemed expedient;
 - (xvii) to approve the student contribution prepared by Senate, including tuition expenses towards training, learning and Information Technology, living infrastructure, utilities, set-up, maintenance and such other expenses for enabling self-sustainability of the Skill University;
 - (xviii) to exercise all such powers and discharge all such functions of the Skill University as mentioned in the Act.
- (d) When urgent action by the Governing Council becomes necessary, the Chairperson may permit the business to be transacted by the circulation of papers to the members of the Governing Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by consensus or by a majority of the voting members of a quorum of not less than four members of the Governing Council. The resolution so circulated and approved shall be as effective and binding as if such resolution has been passed at the meeting of Governing Council.
 - (e) The Governing Council shall exercise such other powers and functions as may be prescribed by the Schedule and the Regulations from time to time.
 - (f) The nodal agency may amend the composition of Governing Council through a formal resolution of the Board of Directors.

10. Senate:

- (1) The Senate shall consist of the following persons as part of its initial constitution, namely:-
 - (a) The Pro-Chancellor;
 - (b) The Dean of Credentials;

-
- (c) The Chief Finance and Accounts Officer;
 - (d) One member of the Governing Council, to be nominated by the Nodal Agency;
 - (e) Two persons from amongst the personnel of the Skill University, to be nominated by the President; and
 - (f) The Registrar of the Skill University
- (2) The Vice-Chancellor shall be the permanent invitee to the meetings of Senate on matters regarding the academic affairs of the Skill University, where award of bachelor's/master's/doctoral degree is concerned.
 - (3) The Pro-Chancellor shall be the Chairperson of the Senate, provided that President may at his discretion, nominate any other member of the Governing Council to be the Chairperson of the Senate.
 - (4) The Senate shall meet once in every three months as possible.
 - (5) A minimum of three members present shall form a quorum of a meeting of the Senate. In case of leave of absence of the Pro-Chancellor, the members present in the meeting may choose a chairperson for the meeting. The members may participate in person or through teleconferencing or video conferencing or any other mode of Information and Communication Technologies:
 Provided that the decisions of the Senate should be taken through consensus:
 Provided further that in cases in which decisions of the Senate cannot be taken through consensus, the decision shall be taken through a majority vote, including through electronic voting technology, by a quorum of not less than three members of Senate participating in the meeting of the Senate.
 - (6) The Regulations of the Skill University, concerning all matters which are required to be provided by the Regulations under the provisions of this Act or the Schedule made there under, shall be laid down by Senate and duly approved by the Governing Council.
 - (7) The Governing Council may amend the initial or subsequent composition of Senate through a formal resolution.
 - (8) Subject to the provisions of this Act, the Senate shall exercise all such powers and discharge all such functions of the Skill University as mentioned in the Act, the Schedule or as prescribed by the Regulations from time to time.

11. Vocational Education Council:

- (1) The Vocational Education Council shall consist of the Pro-Chancellor and such other members as may be specified by the Senate as maybe prescribed by the Schedule and Regulations.
- (2) The Pro-Chancellor shall be the Chairperson of the Vocational Education Council.
- (3) Subject to the provisions of this Act, the Schedule and the Regulations made thereunder, the Vocational Education Council shall be the principal vocational education delivery body of the Skill University and shall co-ordinate and exercise general superintendence and control in matters regarding the implementation of the policies relating to vocational education imparted by the Skill University.
- (4) The quorum for meetings of the Vocational Education Council shall be such as may be specified by the Senate.

12. Credentials Council:

- (1) The Credentials Council shall consist of the Dean of Credentials and such other members as may be prescribed by the Governing Council, reporting to authority as deemed by the Governing Council.
- (2) The Dean of Credentials shall be the Chairperson of the Credentials Council.
- (3) Subject to the provisions of this Act, the Schedule and the Regulations made thereunder, the Credentials Council shall be responsible for laying down of the norms and standards, modes of assessments and certifications, grant of the privileges of recognition and shall co-ordinate with other authorities of the Skill University, other institutes (including training institutes) and universities, research and development organizations, industry, other agencies of the State and Central Governments, Union Territories and other State Governments etc., and exercise general supervision and control over the matters concerning the quality of vocational education offered and imparted, and credentials given, by the Skill University.
- (4) The quorum for meetings of the Credentials Council shall be such as may be specified by the Governing Council.

13. Updation of Schedule, Regulations, etc. and formal communications:

- (1) All changes to the Schedule, Regulations, etc. shall be published in the website or any such other medium as determined by the Governing Council of the Skill University and will be deemed as an official notification.
- (2) Further, all communications, announcements made via electronic medium shall be deemed as an official communication.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
